# उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

## दिनांक **31-03-2013** को तुलन पत्र एवं दिनांक **01-04-2012** से **31-03-2013** तक की अवधि का लाभ एवं हानि खाता

*पंजीकृत कार्यालय*

शक्ति भवन

**14-**अशोक मार्ग, लखनऊ–**226 001**

# निदेशक मण्डल

## (दिनाँक 31 मार्च, 2013 को)

### प्रबंध निदेशक

श्री आलोक कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### निदेशक गण

श्री एस॰के॰ अग्रवाल, निदेशक (वित्त)
श्री नील रतन कुमार, निदेशक
श्री एस॰के॰ गुप्ता, निदेशक
श्री रवि शंकर पाण्डेय, निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन)
श्री अशोक कुमार सिंह, निदेशक (पारेषण)
श्री सुनील कुमार गर्ग, निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
श्री ओ॰पी॰ जैन, निदेशक (वाणिज्य)
श्री प्रभाकर सिंह, निदेशक

### कम्पनी सचिव

सुश्री आभा सेठी टण्डन
(अंशकालिक)

### वैधानिक लेखा परीक्षक

राजीव नन्दन एण्ड कं॰
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
301 ए, द्वितीय तल, गोविन्दा अपार्टमेन्ट
1-अ, शाहनजफ रोड, लखनऊ

### बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
इलाहाबाद बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

### पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001

# विषय सूची


| क्र॰ सं॰ | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन ..... | 1 - 8 |
| 2. | तुलन–पत्र ..... | 9 |
| 3. | लाभ–हानि खाता ..... | 10 |
| 4. | नोट (1-25) ..... | 11 - 28 |
| 5. | महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ नोट–26 (अ)..... | 29 - 30 |
| 6. | लेखों पर टिप्पणियाँ नोट–26 (ब)..... | 31 - 36 |
| 7. | रोकड़ प्रवाह विवरण ..... | 37 - 39 |
| 8. | वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन/अनुलग्नक..... | 40 - 46 |
| 9. | वैधानिक सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर ..... | 47 - 57 |
| 10. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ ..... | 58 - 60 |
| 11. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर ..... | 61 - 62 |

# निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

**सेवा में,**

**सदस्यगण,**

**उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**

निदेशकगण को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के सम्पादन पर वित्तीय वर्ष 2012–13 की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखों की समीक्षा प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

**प्रस्तावना –**

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यू०पी०पी०टी०सी०एल०), उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में दिनांक 13.07.2006 को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि० दिनांक 31.05.2004 को निगमित के नाम एवं स्मरण लेखों को परिवर्तित करके अस्तित्व में आया।

राज्य सरकार में अधिसूचना सं. 2974(1)/24–पी–2–2010 द्वारा यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) से उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को पारेषण क्रियाकलाप अन्तरित करने के उद्देश्य से अनन्तिम अन्तरण योजना अधिसूचित की जिसमें व्यापार का कार्यक्षेत्र, यू०पी०पी०टी०सी०एल० की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों एवं अन्य प्रासंगिक एवं अनुवर्ती मामलों का उल्लेख किया गया था। अनन्तिम अन्तरण योजना में प्रभावी तिथि दिनांक 01.04.2007 निर्धारित की गयी थी। यह तिथि थी, जब से यू०पी०पी०सी०एल० ने पारेषण एवं सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए अलग स्वतन्त्र रूप से कार्य करना आरम्भ किया। यू०पी०पी०सी०एल० विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के सन्दर्भ में राज्य पारेषण उपयोगिता है।

**वित्तीय परिणाम**

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों के मुख्य–2 बिन्दु निम्नानुसार है

| **विवरण** | **31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए** | **31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए** |
|---|---|---|
| <u>व्यय</u> | | |
| ऊर्जा के व्हयीलिंग (एक जगह से दूसरी जगह पारेषण) से राजस्व | 1308.78 | 943.81 |
| अन्य आय | 20.74 | 27.49 |
| **योग (अ)** | **1329.52** | **971.30** |
| <u>व्यय</u> | | |
| परिचालन व्यय : | | |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय | 143.14 | 118.80 |

| | | |
|---|---|---|
| कर्मचारी लागत | 269.84 | 228.19 |
| प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय | 6.46 | 8.72 |
| **योग (ब)** | **419.44** | **355.71** |
| **परिचालन लाभ/हानि ह्रास आदि परिचालन** | | |
| **लाभ/हानि ह्रास, ब्याज, एवं प्रावधान के पूर्व स=(अ–ब)** | 910.08 | 615.59 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 430.86 | 240.80 |
| ह्रास | 374.94 | 351.55 |
| अशोध्य ऋण एवं प्रावधान | 0.00 | 42.10 |
| **योग (द)** | **805.80** | **634.45** |
| **लाभ/हानि** पूर्वावधि से पूर्व आय/(व्यय) एवं कर | 104.28 | (18.86) |
| जोडे : शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय | (81.34) | (33.82) |
| प्रारम्भिक व्यय | – | – |
| **कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि** | **22.94** | **(52.68)** |
| फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्रावधान | – | – |
| **कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि** | **22.94** | **(52.68)** |

**निगम द्वारा प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो, को कोष में अन्तरित करने हेतु**

हालांकि वित्तीय वर्ष 2012–13 में पश्चात शुद्ध लाभ 22.94 करोड़ है लेकिन इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2012–13 तक कम्पनी को संचयी हानियां है, इसलिए किसी कोष को अन्तरित करने हेतु किसी धनराशि का प्रस्ताव नहीं किया है।

**लाभांश**

हालांकि कर के पश्चात वर्ष में शुद्ध लाभ रु॰ 22.94 करोड़ है, लेकिन निदेशकों द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष तक कम्पनी की संचित हानियाँ रु॰ 1123.86 करोड़ हैं।

**भौतिक उपलब्धियां**

समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित पारेषण कार्य पूर्ण किये गये।

(अ) <u>लाइनें</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | 765 के॰वी॰ लाइने | 0.00 | सर्किट कि॰मी॰ |
| (ii) | 400 के॰वी॰ लाइने | 0.00 | सर्किट कि॰मी॰ |
| (iii) | 220 के॰वी॰ लाइने | 89.568 | सर्किट कि॰मी॰ |
| (iv) | 132 के॰वी॰ लाइने | 449.306 | सर्किट कि॰मी॰ |

(ब) (i) <u>उप संस्थान</u>

| वोल्टेज (क्षमता) | नये परिचालित | | क्षमता वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | उप–संस्थानों की संख्या | क्षमता एम॰वी॰ए॰ | उप संस्थानों की संख्या | क्षमता (एम॰वी॰ए॰) |
| 400 के॰वी॰ | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 220 के॰वी॰ | 5 | 1260 | 13 | 880 |
| 132 के॰वी॰ | 10 | 500 | 71 | 1683 |

(ब) (ii) <u>संघारित्र (कैपिसिटर्स)</u>

(अ) 132 के॰वी॰–80 एम॰वी॰ए॰आर॰

(ब) 33 के॰वी॰–610 एम॰वी॰ए॰आर॰

(iii) <u>बे (उर्जीकृत)</u>

1. 220 के॰वी॰–2 नग
2. 132 के॰वी॰–15 नग
3. 33 के॰वी॰–54 नग

(स) वर्ष 2012–13 में प्रेषित ऊर्जा की मात्रा 73897.657156 मि॰यू॰ थी जबकि पूर्व वर्ष 2011–12 में 70371.050500 मि॰यू॰ थी और इस प्रकार 3526.606656 मि॰यू॰ की वृद्धि दर्ज की गयी।

**वित्तीय वर्ष 2012–13 के राजस्व खाते की मुख्य–मुख्य बातें**

(i) राजस्व में समग्र रूप से रु॰ 364.96 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुयी जो मुख्यतः ऊर्जा की अधिक मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करने (चक्रण) 3526.606656 मि॰यू॰ के कारण हुयी (यथा 73897.657156 मि॰यू॰– 70371.050500 मि॰यू॰) एवं चक्रण प्रभार दर में वृद्धि रु॰ 0.048/ के॰डब्ल्यू॰एच॰ (रु॰ 0.1740 –रू॰ 0.1260) के कारण भी हुयी।

(ii) कम्पनी ने रु॰ 22.94 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(iii) आस्थगित कर परिसम्पत्ति का लेखांकन विवेकी आधार पर अभिलेखों में नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी को निकट भविष्य में रु॰ 1123.86 करोड़ की संविहित न की गयी संचित हानियों को आय से निपटाये जाने की अपेक्षा नहीं है। इसके अर्न्तगत रु॰ 967.27 करोड़ की संचयी हानि भी सम्मिलित है जिसे यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित किया गया है एवं रु॰ 57.88 करोड़ की संचयी हानियां है जो अन्तरण योजना से पूर्व वर्ष 2011–12 मे डेबिट की गयी हैं। उपरोक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित करने वाले (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰) से पारेषण उपक्रमों को हस्तांतरित (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰) को अन्तरण, आय–कर अधिनियम की धारा 2(19एए) के अन्तर्गत अन्तरित करने वाले का विलयन नहीं माना जायेगा।

**रिपोर्ट के दिनांक से कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त तक आर्थिक चिट्ठे, जिससे यह सम्बन्धित है, के मध्य हुये महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों**

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धतायें नहीं है जो वित्तीय वर्ष के अन्त तक आर्थिक चिट्ठे, जिससे यह सम्बन्धित है, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।

**कम्पनी के उद्यम की प्रकृति, कम्पनी की सहाकियों या उनके द्वारा किये जा रहे उद्यम या उनकी प्रकृति एवं सामान्यतया उनके उद्यमो की श्रेणियों, जिनमें कम्पनी की रूचि है, वित्तीय वर्ष में कोई परिवर्तन हुआ है।**

ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

**ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय**

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के प्रावधानों के अनुरूप सपठित कम्पनीज (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के अन्तर्गत ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय के सम्बन्धित सूचना अनुलग्नक में दी गयी है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

**कर्मचारियों का विवरण**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(एए) के उद्देश्य से कम्पनी में पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसका आहरित पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु॰ 60 लाख (या रु॰ 5 लाख प्रति माह) से अधिक हो, नहीं की गयी।

**निदेशक मण्डल**

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का संरचनात्मक ढांचा निम्नानुसार रहा :–

| क्र॰सं॰ | नाम | पद नाम | कार्यकारी अवधि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | | | नियुक्ति | सेवनिवृत्ति / समाप्ति (दि॰ 31.03.2013 को) |
| 1. | श्री संजीव मित्तल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 16.01.2013 | 23.01.2013 |
| 2. | श्री संजीव मित्तल | अध्यक्ष | 23.01.2013 | 08.02.2013 |
| 3. | श्री आलोक कुमार | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 08.02.2013 | कार्यरत |
| 4. | श्री ए॰के॰ अवस्थी | प्रबंध निदेशक | 30.03.2012 | 30.07.2012 |
| 5. | श्री ए॰के॰ गुप्ता | प्रबंध निदेशक | 31.07.2012 | 16.01.2013 |
| 6. | श्री धीरज साहू | प्रबंध निदेशक | 23.01.2013 | 08.02.2013 |
| 7. | श्री एस॰के॰ अग्रवाल | निदेशक (वित्त) | 09.01.2009 | कार्यरत |
| 8. | श्री नील रतन कुमार | निदेशक | 16.10.2010 | कार्यरत |
| 9. | श्री एस॰के॰ गुप्ता | निदेशक | 07.06.2011 | कार्यरत |
| 10. | श्री रवि शंकर पाण्डेय | निदेशक (कार्मिक प्रबंधन) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| 11. | श्री अशोक कुमार सिंह | निदेशक (परिचालन) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| 12 | श्री सुनील कुमार गर्ग | निदेशक (कार्य एवं योजना) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| 13 | श्री ओ॰पी॰ जैन | निदेशक (वाणिज्य) | 25.11.2011 | कार्यरत |
| 14 | श्री प्रभाकर सिंह | निदेशक | 11.12.2012 | कार्यरत |

निदेशक मंडल कम्पनी के साथ निदेशकों द्वारा किये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

**निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह युक्ति की जाती है :

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखीय मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलो में, जो विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियम 1985 में दिये गये प्रवधानों के अनुरूप हैं एवं जिनका साथ ही लेखों पर टिप्पणियों में पर्याप्त प्रकटन देना होता है।

(ii) सिवाय उन विचलनों के, जिनका अलग से उल्लेख किया गया है, निदेशकों ने समुचित लेखीय नीतियों का चयन किया है एवं निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हों ताकि 31 मार्च, 2013 को कम्पनी के क्रियाकलापों की सही स्थिति तथा कथित अवधि के वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) ह्रास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में दी गयी दरों पर प्रावधानित किया गया है। परिवर्धन/कटौतियों पर ह्रास यथानुपात आधार पर किया गया है।

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर अंशधारकों को सूचित करना है कि विभन्न कमियां जो प्रबंधन द्वारा पायी गयी तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ द्वारा इंगित की गयी, उन्हें आने वाले वर्षो में संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुयी तो उन्हें उसका लेखांकन आने वाले वर्षों में लेखा कर लिया जायेगा।

(v) निदेशकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर बनाये हैं।

**सहायक कम्पनियां**

कम्पनी की कोई सहायिकी नहीं है।

**<u>सम्प्रेक्षा समिति</u>**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निगम ने एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया है जिसमें इस दिनांक को निम्न सदस्य हैं :–

| | |
|---|---|
| प्रबंध निदेशक (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰) | अध्यक्ष |
| विशेष सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन एवं | सदस्य |
| अंशकालिक निदेशक यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ | |
| निदेशक (वित्त) यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ | प्रस्तुतकर्ता |
| कम्पनी सचिव | समन्वयक |

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा कर ली है।

**सम्प्रेक्षक**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मै॰ राजीव नन्दन एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कम्पनी का वैद्यानिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। वैधानिक सम्प्रेक्षको ने कम्पनी के 31 मार्च, 2013

समाप्त हुए वर्ष के लेखा का वैधानिक सम्प्रेक्षण किया है। सम्प्रेक्षको की रिपोर्ट एवं उनकी टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखों की समीक्षा**

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रबंधन की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर भी संलग्न है।

**औद्योगिक सम्बन्ध**

समीक्षाधीन अवधि में औद्योगिक शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

**आभार**

संचालक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, विद्युत नियामक आयोग, सी॰ई॰आर॰सी॰, केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं, पी॰एफ॰सी॰, आर॰ई॰सी॰, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

संचालक मंडल वैधानिक सम्प्रेक्षकों मै॰ राजीव नन्दन एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ कार्यालय द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए निरन्तर धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कामगारों द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए आभार प्रस्तुत करता है।

दिनांक 15.09.2014
स्थान –लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
**कामरान रिजवी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## निदेशकों का प्रतिवेदन अनुलग्नक–1

कम्पनी (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के अन्तर्गत प्रकटन

**(अ) ऊर्जा का संरक्षण** लागू नहीं

(अनुसूची में दी गयी सूचना प्रस्तुत करने के लिए यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ का नाम उद्यमो की श्रेणी में नहीं है।)

**(ब) प्रौद्योगिकी आमेलन**

**(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)**

वर्ष में आर एण्ड डी में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया।

**(ब) प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण**

**1. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण हेतु किये गए प्रयासों का संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है :**

वर्ष 2010 में यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ में उप–संस्थान आटोमेशन प्रणाली विकसित की (वितरण प्रणाली टाइप किआसक होती है और बेएज सिस्टम प्रणाली (स्विचयार्ड) तक जाती है तथा वे सभी उप संस्थान उपकरणों, रिमोट कन्ट्रोल सेन्टर) तक को नियंत्रित करती है। राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र से, वर्तमान स्काडा नेटवर्क तक संचार हेतु गेटवेज का प्रबंध किया गया है। उत्सर्गक बेज नियंत्रण इकाइयों (वी॰सी॰यू॰एस॰) का विभिन्न बेएज के लिए यथा 220 के॰वी॰, 132 के॰वी॰ के लिए प्रबंध किया गया है। इस प्रकार जो प्रणाली विकसित की गयी है वह उपयोग करने वाले के लिए मित्रभाव है तथा पूर्व से ही 5 नं॰ 220 के॰वी॰ उप संस्थान तथा 14 नं॰ 132 के॰वी॰ उपसंस्थान जिनका विवरण निम्नानुसार है, सफलतापूर्वक परिवर्तित किये जा चुके है तथा प्रचलन में है।

| एस॰ए॰एस॰ आधारित उपसंस्थान जो सफलतापूर्वक परिचालित जा चुके है और प्रचालन में हैं | | |
|---|---|---|
| | **220 के॰वी॰ उप संस्थान** | **132 के॰वी॰ उप संस्थान** |
| 1. | बेहट उप संस्थान | 1. उझानी उप संस्थान |
| 2. | जानसट उप संस्थान | 2. अनूपशहर रोड उप संस्थान |
| 3. | कुर्सी रोड लखनऊ उप संस्थान | 3. कान्हा उपवन उप संस्थान |
| 4. | आर॰सी॰ ग्रीन, नोएडा | 4. गरवारा उप संस्थान |
| 5. | फरीद नगर उप संस्थान | 5. पुरा उप संस्थान |
| | | 6. मोहदीपुर उप संस्थान |
| | | 7. तिलामोर उप संस्थान |
| | | 8. अनूपशहर उप संस्थान |
| | | 9. खुर्जा–II उप संस्थान |
| | | 10. अफजलगढ़ उप संस्थान |
| | | 11. बछरावां उप संस्थान |
| | | 12. बमौली उप संस्थान |
| | | 13. मोहान रोड उप संस्थान लखनऊ |
| | | 14. रहीमाबाद उप संस्थान लखनऊ |

**2. उर्पयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप उत्पन्न लाभ**

(i) इस प्रणाली में नियंत्रण, अनुश्रवण एवं निर्दिष्ट सुरक्षित कार्यो का समाविष्ट है, निजी अनुश्रवण, सांकेतिक एवं परीक्षण सुविधायें, मापने के साथ–साथ स्मरण कार्यप्रणाली, घटना को लिखने या प्रमाणित करने तथा मानवीय मशीन के अन्तरापृष्ठ के द्वारा बाधाओं के अभिलेखों का मूल्यांकन करने का प्रावधान भी है।

(ii) निजी अनुश्रवण संघटको, प्रमाणकों एवं संचार माध्यमों को बढ़ाकर उपकरणों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता तथा कम से कम व्यवधानों से यह मानवीय मशीन के अन्तरापृष्ठ से नियंत्रण कक्ष में भी उपलब्ध हो सकते हैं।

(iii) परम्परागत प्रणाली के बजाय ग्रुपों में संयोजन से मानव शक्ति में कमी।

**3. महत्वपूर्ण प्रोद्योगिकी :**

वर्ष 2007 में उच्च विभव की लाइनों में उभयारोधी पालीमर का प्रारम्भ हुआ और तब से 400 के॰वी॰ एवं 132 के॰वी॰ की पारेषण लाइनों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इन उपष्मारोधी इन्सुलेटर के प्रयोग में चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर फेल होने एवं सम्बन्धित पिनों एवं शिखरो की कोहरे के कारण होने वाली असफलताओं के कारण लाइनों की ट्रिपिंग में भी कमी आयी है। यह तकनीक विश्व भर में प्रयोग की जा रही है और ग्रिड की स्थिरता प्रतिपादित करने, विशेष रूप से उत्तरी भारत में जहाँ बर्फ गिरने एवं कोहरे की घटनाएं बिल्कुल सामान्य हैं।

(स) **विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं व्यय**

| | |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा का उपार्जन | शून्य |
| विदेशी मुद्रा व्यय | 892 (यू॰एस॰डी॰) |

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
**कामरान रिजवी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | नोट सं. | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| **I. समता एवं दायित्व** | | | |
| (1) **अंशधारकों की निधियाँ** | | | |
| (अ) अंशपूंजी | 1 | 45,755,100,000 | 4,335,500,000 |
| (ब) कोष एवं आधिक्य | 2 | (5,935,512,282) | (6,290,665,201) |
| (स) अधिपत्र के विरूद्ध प्राप्त धन | | | |
| **2. आवंटन हेतु लम्बित अंश आवेदन धनराशि–** | | – | – |
| **3. गैर चालू दायित्व** | | | |
| (अ) दीर्घावधि उधारी | 3 | 6,670,000,000 | 40,089,600,000 |
| (ब) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) | 4 | 59,551,147,782 | 43,136,800,585 |
| (स) अन्य दीर्घावधि दायित्व | | | |
| (द) दीर्घावधि प्रावधान | 5 | 2,589,783,517 | – |
| **4. चालू दायित्व** | | | 2,653,320,695 |
| (अ) अल्पकालीन ऋण | 6 | – | 2,000,000,000 |
| (ब) व्यापारिक देनदारियाँ | | – | – |
| (स) अन्य चालू दायित्व | 7 | 33,242,621,523 | 29,439,696,573 |
| (द) अल्पकालीन प्रावधान | | – | – |
| **योग** | | **141,873,140,540** | **115,364,252,652** |
| **II परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| 1 **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| (अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ | | | |
| I. मूर्त परिसम्पत्तियाँ | 8 | 48,656,330,732 | 47,675,025,652 |
| II. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 9 | 10,544,929 | 539,671 |
| III. पूंजीगत कार्य प्रगति में | 10 | 24,165,409,202 | 18,562,224,692 |
| IV. परिवर्धन में अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | | – | – |
| (ब) गैर चालू निवेश | | – | – |
| (स) आस्थगित कर की परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) | 11 | – | – |
| (द) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | | 28,760,400,642 | 21,841,122,771 |
| (य) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ | | – | – |
| 2 **चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| (अ) चालू निवेश | | | |
| (ब) भण्डार सूची (भण्डार एवं कल पुर्जे) | 12 | 7,278,181,112 | 6,418,518,932 |
| (स) व्यापार प्राप्य | 13 | 27,675,597,987 | 15,925,695,302 |
| (द) नकद एवं नकद समतुल्य | 14 | 3,609,200,754 | 4,324,422,575 |
| (य) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 15 | 457,640,102 | 388,980,443 |
| (र) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ | 16 | 1,259,835,080 | 227,722,614 |
| महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ | 26(अ) | | |
| लेखों पर टिप्पणियाँ | 26(ब) | | |
| टिप्पणी 1 से 26बी लेखों का अभिन्न अंग है। | | | |
| **योग** | | **141,873,140,540** | **115,364,252,652** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

इसी तिथि की हमारी रिर्पोट की शर्ताधीन
**कृते राजीव नन्दन एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम॰नं॰ 073070
एफ॰आर॰नं॰ 003347सी

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | नोट सं. | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| (i) परिचालन से राजस्व (सकल) | 17 | 13,087,774,944 | 9,438,141,224 |
| (ii) अन्य आय | 18 | 207,420,722 | 274,934,177 |
| **(iii) कुल राजस्व (i + ii)** | | **13,295,195,666** | **9,713,075,401** |
| 1. उपभोग की गयी सामग्री की लागत | | – | – |
| 2. व्यापारिक माल का क्रय | | – | – |
| 3. तैयार माल, कार्य प्रगति में एवं व्यापारिक माल में परिवर्तन | | – | – |
| 4. कर्मचारी हित लाभ व्यय | 19 | 2,698,362,929 | 2,281,908,006 |
| 5. वित्त व्यय | 20 | 4,308,618,648 | 2,407,921,838 |
| 6. ह्रास एवं परिशोधन व्यय | 21 | 3,749,394,428 | 3,515,537,063 |
| 7. अन्य व्यय | | | |
| (अ) प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय | 22 | 64,571,685 | 87,268,990 |
| (ब) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय | 23 | 1,431,365,493 | 1,187,962,527 |
| (स) अशोध्य ऋण एवं प्रावधान | 24 | – | 421,045,040 |
| **(iv) कुल व्यय** | | **12,252,313,183** | **9,901,643,464** |
| (v) पूर्वावधि आय (व्यय) से पूर्व लाभ (हानि) अपवादात्मक एवं असाधारण मदें एवं टैक्स (iii - iv) | 25 | 1,042,882,483 | (188,568,063) |
| (vi) पूर्वावधि आय (व्यय) | | (813,458,439) | (338,256,003) |
| (vii) अपवादात्मक मदें | | – | – |
| (viii) असाधारण मदो से पूर्व लाभ/(हानि) एवं कर (v-vi-vii) | | 229,424,044 | (526,824,066) |
| (ix) असाधारण मदें | | – | – |
| (x) कर से पूर्व लाभ/हानि (viii-ix) | | 229,424,044 | (526,824,066) |
| (xi) कर व्यय | | | |
| (अ) चालू कर | | – | – |
| (ब) आस्थगित कर | | – | – |
| (xii) सतत परिचालन के पश्चात की अवधि के लिए लाभ/हानि (xiii-xiv) | | 229,424,044 | (526,824,066) |
| (xiii) असतत परिचालन से लाभ/(हानि) | | – | – |
| (xiv) असतत परिचालन के कर व्यय | | – | – |
| (xv) असतत परिचालन से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) (xiii-xiv) | | – | – |
| (xvi) अवधि के लिए लाभ/हानि (xii+xv) | | **229,424,044** | **(526,824,066)** |
| (xvii) प्रति समता अंश उपार्जन | | | |
| (अ) आधारभूत ई.पी.एस. | | 8.05 | (121,51) |
| (ब) अवमिश्रित ई.पी.एस. | | 4.85 | (12.40) |
| महत्वपूर्ण लेखीय नीतियां लेखों पर टिप्पणियां | 26(अ) | | |
| टिप्पणी (1) से 26(ब) लेखों का अभिन्न अंग है। | 26(ब) | | |

| आभा सेठी टण्डन | डा. उमा कान्त यादव | ए.के. गुप्ता | एस.के. अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

इसी तिथि की हमारी रिर्पोट की शर्ताधीन
**कृते राजीव नन्दन एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम.नं. 073070
एफ.आर.नं. 003347सी

## नोटस् जो वित्तीय विवरणों के भाग है

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| **नोट–'1' अंशपूँजी** | | |
| अ. अधिकृत पूँजी : | | |
| प्रत्येक ₹ 1000/–के सममूल्य के पूर्ण प्रदत्त समता अंश 100000000 (पूर्व वर्ष में प्रत्येक ₹ 1000 के सममूल्य के 100000000 समता अंश) | 100000000000 | 100000000000 |
| ब. निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी : | | |
| रोकड़ के लिए प्रत्येक ₹ 1000/– के सममूल्य के निर्गत 45755100 समता अंश (पूर्व वर्ष में प्रत्येक ₹ 1000 के सममूल्य के 4335500 पूर्ण प्रदत्त समता अंश) | 45755100000 | 4335500000 |
| **योग** | **45755100000** | **4335500000** |

**(अ) सूचनीय अवधि के प्रारम्भ मे तथा अन्त में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :**

| | 31.03.2013 को | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| | अंशों की संख्या | धनराशि | अंशों की संख्या | धनराशि |
| वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश | 4335500 | 4335500000 | 4335500 | 4335500000 |
| वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन | 41419600 | 41419600000 | – | – |
| वर्ष के अन्त में अंशों की संख्या | 45755100 | 45755100000 | 4335500 | 4335500000 |

**(ब) समता अंशों से शर्ते/अधिकार :**

(i) कम्पनी में समता अंशों की केवल एक श्रेणी है जिसकी प्रति अंश ₹ 1000/- का सममूल्य है।

(ii) दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी ने 41419600 अंश निर्गत किये।

(iii) दिनांक 31 मार्च 2013 समाप्त हुए वर्ष में निगम को हुयी भारी संचयी हानियों के कारण कोई लाभांश वितरित नहीं किया गया।

**(स) 5 प्रतिशत से अधिक अंशों को रखने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरण :**

| | 31.03.2013 को | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| अंश धारक का नाम | अंशों की संख्या | % धारण | अंशों की संख्या | % धारण |
| उ०प्र० सरकार के माननीय राज्यपाल | 23621748 | 51.63% | 4285500 | 98.85% |
| उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० | 22132752 | 48.37% | – | – |

| आभा सेठी टण्डन | डा० उमा कान्त यादव | ए०के० गुप्ता | एस०के० अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

**राजीव नन्दन एण्ड कं०, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'2' कोष एवं आधिक्य** | | | | |
| **अ–पूँजीगत कोष** | | | | |
| **पूँजीगत कार्यों के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान** | | | | |
| गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अवशेष | 3,370,083,372 | | 2,282,435,054 | |
| जोड़ा–वर्ष के दौरान परिवर्धन | 305,428,309 | | 1,218,920,406 | |
| घटाया–वर्ष के दौरान कमी | 179,699,434 | | 131,272,088 | |
| अन्तिम अवशेष | | 3,495,812,247 | | 3,370,083,372 |
| **ब–पुनर्संरचना कोष :** | | | | |
| गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अवशेष | 1,807,231,000 | | 1,807,231,000 | |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान परिवर्धन | – | | – | |
| घटाया : वर्ष के दौरान कटौती | – | 1,807,231,000 | – | 1,807,231,000 |
| अन्तिम अवशेष | | | | |
| (स) लाभ हानि खाते का आधिक्य | | | | |
| पूर्व आर्थिक चिट्ठे का अवशेष | (11,467,979,573) | | (10,362,362,635) | |
| जोडे : अन्तरण योजना के पूर्व संचयी हानि | – | | (578,792,872) | |
| जोडे : लाभ हानि खाते विवरण से अन्तरण | 229,424,044 | (11,238,555,529) | (526,824,066) | (11,467,979,573) |
| अन्तिम शेष | | | | |
| **योग** | | **(5,935,512,282)** | | **(6,290,665,201)** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| **नोट–'3' अंश आवेदन धनराशि** | | |
| अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित | 6,670,000,000 | 40,089,600,000 |
| **योग** | **6,670,000,000** | **40,089,600,000** |

**अंश आवेदन धनराशि का समाधान**

| अंश आवेदन धनराशि 31.03.2012 को | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में अवंटित | 31.03.2013 को अंश आवेदन धनराशि |
|---|---|---|---|
| 40,089,600,000 | 8,000,000,000 | 41,419,600,000 | 6,670,000,000 |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए.के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

**राजीव नन्दन एण्ड कं., लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'4' दीर्घावधि उधारी** | | | | |
| **संरक्षित ऋण** | | | | |
| **सावधि ऋण** | | | | |
| अन्य से | | 56,072,376,565 | | 37,636,043,570 |
| (पी॰एफ॰सी॰ एवं आर॰ई॰सी॰ योजना के अन्तर्गत बनायी गयी परिसम्पत्तियों के केवल प्रभारो से संरक्षित) | | | | |
| **असंरक्षित ऋण जमा** | | | | |
| सावधि जमा | | | | |
| उत्तर प्रदेश सरकार से | 997,146,000 | | 997,146,000 | |
| अन्य से | 5,890,196,103 | 6,887,342,103 | 7,035,271,923 | 8,032,417,923 |
| (उपरोक्त सभी ऋण उत्तर प्रदेश सरकार से प्रत्याभूतित है।) | | | | |
| **संरक्षित एवं असंरक्षित ऋणों का उप योग** | | **62,959,718,668** | | **45,668,461,493** |
| घटाया : दीर्घावधि उधारी की चालू परिपक्वता (अनुलग्नक अ का सन्दर्भ) | | 3,408,570,886 | | 2,531,660,908 |
| **योग** | | **59,551,147,782** | | **43,136,800,585** |

1. उधारी की शर्तों के अनुलग्नक–अ में संलग्न है।
2. ऋण की सेवाओं में व्यवधानों का उल्लेख अनुलग्नक–ब मे संलग्न किया गया है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

**राजीव नन्दन एण्ड कं., लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

नोट '4' संलग्नक 'अ'

## अनुसूची–VI में अपेक्षित है उधारी के नियमों आदि का प्रकटन

(धनराशि ₹ में)

| ऋण | प्रतिभूतित एवं गारन्टी विवरण | ब्याजदर | चुकता करने के नियम | 31-03-12 को अवशेष (अ) | दीर्घावधि ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (वि.वि. 11-12)(ब) | 31-03-12 को दीर्घावधि ऋण स=(अ–ब) | वर्ष में प्राप्त ऋण (वि.व. 12-13) (द) | वर्ष में ऋण पुनर्भगतान (वि.व. 12-13) (य) | 31-03-13 को अवशेष र=(अ+ब –य) | दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता (वि.व. 12 –13) (ल) | 31-03-13 को दीर्घावधि ऋण व=(र–ल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अ. सरंक्षित :** | | | | | | | | | | | |
| (i) पावर वित्त निगम लि0 (हाइपो) | पी0एफ0सी0योजना के अन्तर्गत लाइनो एवं उपकेन्द्रों के रेहन से प्रत्याभूतित | 8.75% से 13.25% तक | 40 से 60 समान त्रैमासिक किश्तो में | 14587240317 | 935335880 | 13651904437 | 3388477941 | 934601240 | 17041117018 | 1317327279 | 15723789739 |
| (ii) पावर वित्त निगम लि0 (बी0एल0सी0) | पी0एफ0सी0योजना के अन्तर्गत लाइनो एवं उपकेन्द्रों के रेहन से प्रत्याभूतित | 13.75% | 40 समान त्रैमासिक किश्तो में | 48911538 | 48911538 | 0 | 0 | 48911538 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 | आर0इ0सी0योजना के अन्तर्गत लाइनो एवं उपकेन्द्रो के रेहन से प्रत्याभूति | 11% से 13% तक | 120 समान मासिक किश्तो में | 22999891715 | 201497511 | 22798394204 | 16232865343 | 201497511 | 39030259547 | 772571961 | 38258687586 |
| | | | **योग अ** | **37636043570** | **1185744929** | **36450298641** | **19621343284** | **1185010289** | **56072376565** | **2089899240** | **53982477325** |
| **(ब) असंरक्षित** | | | | | | | | | | | |
| (i) पावर वित्त निगम लि0 (राजकीय जमानत) | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 8.75% से 13.25% तक | 40 त्रैमासिक समान किश्तो में | 3476017698 | 584779168 | 2891238530 | 0 | 584779166 | 2891238532 | 569114211 | 2322124321 |
| (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 (पुनःसूचीकृत) | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 10.11% | 180 समान मासिक किश्तो में | 652118153 | 93270566 | 558847587 | 0 | 93270566 | 558847587 | 102714789 | 456132798 |
| (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 (पारेषण) | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 11.00% से 13.00% तक | 120 समान मासिक किश्तो में | 7261036890 | 90762960 | 635340720 | 0 | 90762960 | 635340720 | 90762960 | 544577760 |
| (iv) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 (यू0पी0पी0 सी0एल0) | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 11% से 12.50% तक | 120 समान मासिक किश्तो में | 2093532392 | 288763128 | 1804769264 | 0 | 288763128 | 1804769264 | 288763128 | 1516006136 |
| | | | **योग (i +ii +iii+iv )** | **6947771923** | **1057575822** | **5890196101** | **0** | **1057575820** | **5890196103** | **1051355088** | **4838841015** |

| | प्रतिभूतित एवं गारन्टी विवरण | ब्याजदर | चुकता करने के नियम | 31-03-12 को अवशेष (अ) | दीर्घावधि ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (वि.वि. 11-12) (ब) | 31-03-12 को दीर्घा वधि ऋण स=(अ–ब) | वर्ष में प्राप्त ऋण (वि.व. 12–13) (द) | वर्ष में ऋण पुनर्भगतान (वि.व. 12 –13) (य) | 31-03-13 को अवशेष र=(अ+ब –य) | दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता (वि.व. 12 –13) (ल) | 31-03-13 को दीर्घा वधि ऋण व=(र–ल) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v) उत्तर प्रदेश सरकार | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 13.5% से 15.25% तक | 10 समान वार्षिक किश्तो से तीस अर्ध वार्षिक किश्तें | 997146000 | 200840157 | 796305843 | 0 | 0 | 997146000 | 267316558 | 729829442 |
| | | | योग (v) | 997146000 | 200840157 | 796305843 | 0 | 0 | 997146000 | 267316558 | 729829442 |
| (vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड | यू0पी0 सरकार द्वारा दी गयी जमानत | 7% | छः से आठ समान वार्षिक किश्तें | 875000000 | 875000000 | 0 | 0 | 87500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | योग (vi) | 875000000 | 875000000 | 0 | 0 | 87500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | योग (ब) | 8032417923 | 1345915979 | 6686501944 | 0 | 1145075820 | 6887342103 | 1318671646 | 5568670457 |
| | | | महा योग(अ+ब) | 45668461493 | 2531660908 | 43136800585 | 19621343284 | 2330086109 | 62959718668 | 3408570886 | 59551147782 |

**आभा सेठी टण्डन**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)

**डा॰ उमा कान्त यादव**
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

**ए॰के॰ गुप्ता**
महाप्रबन्धक (लेखा)

**एस॰के॰ अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

**कामरान रिजवी**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

# जैसाकि अनुसूची–VI में अपेक्षित ऋण वापसी में चूकों का प्रकटन

नोट '4' का संलग्नक 'ब'

(धनराशि ₹ में)

| ऋण | पुनर्भुगतान नियम | | | | 31-03-2012 को चूक | | | | 31-03-2013 को चूक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुनर्संचना तिथि | किस्ते | पुनर्भुगतान देयता | ब्याज की दर (%) | मूलधन | ब्याज | मूलधन में चूक तिथि | ब्याज के लिए चूक की तिथि | मूलधन | ब्याज | मूलधन में चूक तिथि | ब्याज में चूक की तिथि |
| असंरक्षित | | | | | | | | | | | | |
| (i) उ.प्र. सरकार | 2003-04 | 180 (मासिक) | 2010-11 | 13-5% से 15.25% तक | 134363755 | 4653100960 | 2011-12 | 2007-08 | 200840157 | 4798530352 | 2011-12 | 2007-08 |
| योग | | | | | 134363755 | 4653100960 | | | 200840157 | 4798530352 | | |

**आभा सेठी टण्डन**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)

**डा॰ उमा कान्त यादव**
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

**ए॰के॰ गुप्ता**
महाप्रबन्धक (लेखा)

**एस॰के॰ अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

**कामरान रिजवी**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| नोट–'5' अन्य दीर्धकालीन दायित्व | | |
| आर.ई.सी. पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नही | 2589783517 | 2653320695 |
| योग | **2589783517** | **2653320695** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| नोट–'6' अल्पावधि उधारी | | |
| असंरक्षित : | | |
| मांग पर वापसी योग्य ऋण | | |
| वित्तीय संस्थानो से | | 2000000000 |
| योग | | **2000000000** |

टिप्पणी– पावर वित्त निगम लि॰ से अल्पावधि ऋण ₹ 2000000000 पर 13% ब्याज की दर से है और चार किश्तो में पुर्नभुगतान योग्य है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'7' अन्य चालू दायित्व** | | | | |
| दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वताएं | | 3,408,570,886 | | 2,531,660,908 |
| **उधारी पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज** | | | | |
| उ०प्र० सरकार | 4,798,530,352 | | 4,653,100,960 | |
| आर०ई०सी० | 63,537,178 | 4,862,067,530 | 57,695,183 | 4,710,796,143 |
| उधारी पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नहीं | | 616,802,764 | | 452,647,932 |
| पूंजीगत आपूर्ति/कार्यो के दायित्व | | 8,842,986,059 | | 8,276,497,201 |
| पूंजीगत अनुरक्षण मरम्मत कार्यो के दायित्व | | 585,401,775 | | 526,906,705 |
| कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व | | 1,479,279,884 | | 1,583,284,999 |
| आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से रोकी गयी राशि जमा | | 3,788,977,440 | | 2,531,834,268 |
| विद्युतीकरण कार्यो हेतु जमा | | 7,109,842,770 | | 5,900,877,593 |
| **अन्तर निगम शेष** | | | | |
| यू०पी०पी०सी०एल० | 157,134,268 | | 573,648,576 | |
| केस्को | 23840,420 | | 18,469,745 | |
| दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि० | 68,811,636 | | 46,889,751 | |
| मध्यांचल वि०वि०नि०लि० | 232,501,481 | | 226,691,318 | |
| पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि० | 13,032,807 | | 11,584,954 | |
| पूर्वांचल वि०वि०नि०लि० | 35,922,837 | 531,243,449 | 38,394,203 | 915,678,547 |
| अन्तर इकाई अन्तरण | | – | | 564,622,438 |
| विविध दायित्व | | 126,833,276 | | 36,426,149 |
| | | 45,180,326 | | 68,485,809 |
| **यू०पी० पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व** | | | | |
| भविष्य निधि दायित्व | 811,457,362 | | 615,516,097 | |
| पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व | 891,821,718 | 1,703,279,080 | 651,920,074 | 1,267,436,171 |
| **यू०पी०पी०सी०एल० सी०पी०एफ० ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व** | | | | |
| सी०पी०एफ० दायित्व | | 142,143,576 | | 72,529,002 |
| **राजकीय प्राधिकरणों के पास शेष** | | | | |
| फ्रिंज लाभ कर–प्रावधान | 12,183,959 | | 12,183,959 | |
| घटाया : अग्रिम कर | 12,171,251 | 12,708 | 12,171,251 | 12,708 |
| योग | | **33,242,621,523** | | **29,439,696,573** |

टिप्पणी : दीर्घावधि उधारी को चालू परिपक्वता का विवरण टिप्पणी–4 के (अनुलग्नक अ) के साथ नत्थी है।

| आभा सेठी टण्डन | डा० उमा कान्त यादव | ए०के० गुप्ता | एस०के० अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं०, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

## दिनांक 31.03.2013 को स्थायी परिसम्पत्तियों का विवरण

नोट–'8'

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | ह्रास एवं समाशोधन | | | | शुद्ध ले जाया गया मूल्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2012 को | परिवर्धन | कमी / समायोजन | 31.03.2013 को | 01.4.2012 को | वर्ष के लिए | कमी / समायोजन | 31.03.2013 को | 31.03.2013 को अवशेष | 31.03.2012 को अवशेष |
| भूमि एवं भूमि अधिकार | | | | | | | | | | |
| (i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि | 316,455,500 | 1,246,262 | — | 317,701,762 | — | — | — | — | 317,701,762 | 316,455,500 |
| (ii) पट्टे की भूमि | 52,296,572 | (51,764,518) | — | 532,054 | — | — | — | — | 532,054 | 52,296,572 |
| योग (i) + (ii) | 368,752,072 | (50,518,256) | — | 318,233,816 | — | — | — | — | 318,233,816 | 368,752,072 |
| भवन | 2,782,313,111 | 254,122,451 | 280,950 | 3,036,154,612 | 925,037,187 | 88,920,344 | 66,883 | 1,013,890,648 | 2,022,263,964 | 1,857,275,924 |
| अन्य जानपदीय कार्य | 438,730,071 | 4,215,351 | — | 442,945,422 | 173,211,832 | 7,650,213 | — | 180,862,045 | 262,083,377 | 265,518,239 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 44,028,103,591 | 3,872,445,912 | 967,674,311 | 46,932,875,192 | 15,622,540,943 | 2,173,089,408 | 326,863,702 | 17,468,766,649 | 29,464,108,543 | 28,405,562,648 |
| लाइन, केबिल नेटवर्क आदि | 33,457,599,831 | 1,465,031,218 | 16,112,944 | 34,906,518,105 | 17,086,463,540 | 1,624,135,029 | 9,583,660 | 18,701,014,909 | 16,205,503,196 | 16,371,136,291 |
| वाहन | 35,484,204 | — | 538,000 | 34,946,204 | 29,080,305 | 1,933,559 | 413,351 | 30,600,513 | 4,345,691 | 6,403,899 |
| फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 14,444,610 | 1,120,957 | 46,595 | 15,518,972 | 6,798,561 | 937,027 | 43,189 | 7,692,399 | 7,826,573 | 7,646,049 |
| कार्यालय उपकरण | 25,897,339 | 13,198,117 | 6,700 | 39,088,756 | 16,865,502 | 3,233,902 | 2,853 | 20,096,551 | 18,992,205 | 9,031,837 |
| अन्य परिसम्पतियाँ | 700,019,530 | 3,457,826 | — | 703,477,356 | 316,320,837 | 34,183,152 | — | 350,503,989 | 352,973,367 | 383,698,693 |
| **योग** | **81,851,344,359** | **5,563,073,576** | **984,659,500** | **86,429,758,435** | **34,176,318,707** | **3,934,082,634** | **336,973,638** | **37,773,427,703** | **48,656,330,732** | **47,675,025,652** |
| पूर्व वर्ष में | **75,129,503,917** | **7,428,981,978** | **706,587,091** | **81,851,898,804** | **30,682,888,393** | **3,750,089,062** | **256,643,974** | **34,176,333,481** | **47,675,565,323** | **44,446,615,524** |

## दिनांक 31.03.2013 को अस्थाई परिसम्पत्तियों का विवरण

नोट–'9'

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | ह्रास एवं समाशोधन | | | | शुद्ध ले जाया गया मूल्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2012 को | परिवर्धन | कमी / समायोजन | 31.03.2013 को | 01.4.2012 को | वर्ष के लिए | कमी / समायोजन | 31.03.2013 को | 31.03.2013 को अवशेष | 31.03.2012 को अवशेष |
| अस्थाई परिसम्पत्तियाँ | 554,445 | 12,527,650 | — | 13,082,095 | 14,774 | 2,522,392 | — | 2,537,166 | 10,544,929 | 539,671 |
| योग | 554,445 | 12,527,650 | — | 13,082,095 | 14,774 | 2,522,392 | — | 2,537,166 | 10,544,929 | 539,671 |
| पूर्व वर्ष | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**आभा सेठी टण्डन**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)

**डा॰ उमा कान्त यादव**
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

**ए॰के॰ गुप्ता**
महाप्रबन्धक (लेखा)

**एस॰के॰ अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

**कामरान रिजवी**
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'10' पूँजीगत कार्य प्रगति में** | | | | |
| पूंजीगत कार्य प्रगति में * | | 19,998,147,292 | | 16,346,447,078 |
| राजस्व व्यय पूंजीकरण हेतु लम्बित पूर्व वर्ष तक ** | 2,215,777,614 | | 908,633,742 | |
| जोड़ा : वर्ष के दौरान परिवर्धन | 2,618,955,000 | | 1,891,889,000 | |
| घटाया : वर्ष के दौरान पूंजीकरण | 667,470,704 | 4,167,261,910 | 584,745,128 | 2,215,777,614 |
| **योग** | | **24,165,409,202** | | **18,562,224,692** |

टिप्पणी : *इसमें अधिष्ठान, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय सम्मिलित हैं।

**इसमें कार्यो से सम्बन्धित उधारी लागत सम्मिलित है।

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'11' दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों को अग्रिम | 29,577,130,504 | | 22,657,852,633 | |
| घटाया : पूंजीगत कार्यो के विरूद्ध संदिग्ध अग्रिमो के लिए प्रावधान | 816,729,862 | 28,760,400,642 | 816,729,862 | 21,841,122,771 |
| **योग** | | **28,760,400,642** | | **21,841,122,771** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए.के॰ गुप्ता | एस.के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं., लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'12' भण्डार सामग्री की सूची** | | | | |
| **भण्डार एवं कलपुर्जे :** | | | | |
| (अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य | 7,197,521,925 | | 6,243,007,505 | |
| (ब) भण्डार सामग्री–ओ.एण्ड एम. | 277,382,160 | | 446,609,517 | |
| (स) अन्य सामग्री* | 208,689,696 | 7,683,593,781 | 134,317,746 | 6,823,934,768 |
| **उप योग** | | **7,683,593,781** | | **6,823,934,768** |
| घटाये–अप्रचलित/अप्रयोज्य/कमी/भण्डार की हानियों के लिए प्राविधान | | 405,412,669 | | 405,415,836 |
| **योग** | | **7,278,181,112** | | **6,418,518,932** |

टिप्पणी–अन्य भण्डार में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री अप्रचलित भण्डार, रद्दी सामान, मरम्मत के लिए भेजे गये परिवर्तक, भंडार सामग्री आधिक्य/कमी जांच हेतु लम्बित एवं पारगमन में भण्डार सम्मिलित है।

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'13' व्यापारिक प्राप्य** | | | | |
| **असंरक्षित, शोध्य विचारित :** | | | | |
| (अ) भुगतान के लिए देय होने की तिथि से 6 माह की अवधि से अधिक से बकाया | | 21,539,557,981 | | 11,566,047,933 |
| (ब) अन्य देनदार | | 6,136,040,006 | | 4,359,647,369 |
| **योग** | | **27,675,597,987** | | **15,925,695,302** |
| **व्यापारिक प्राप्यों का विवरण :** | | | | |
| मध्यांचल वि॰वि॰नि॰लि॰ | 5,034,607,978 | | 2,942,659,214 | |
| पूर्वांचल वि॰वि॰नि॰लि॰ | 6,074,487,050 | | 3,523,140,003 | |
| पश्चिमांचल वि॰वि॰नि॰लि॰ | 8,825,813,554 | | 5,058,788,913 | |
| दक्षिणांचल वि॰वि॰नि॰लि॰ | 6,333,885,997 | | 3,576,086,463 | |
| केस्को | 1,245,264,045 | | 745,603,557 | |
| अन्य | 161,539,363 | 27,675,597,987 | 79,417,152 | 15,925,695,302 |
| **नोट–'14' नकद एवं नकद समतुल्य** | | | | |
| **नकद रोकड़** | | | | |
| (अ) नकद हाथ में (टिकटो को सम्मिलित करते हुए) | | 638,205 | | 550,271 |
| (ब) बैकों मं अवशेष | | | | |
| चालू एवं अन्य खातो में | | 1,694,477,263 | | 2,297,477,784 |
| सावधि जमा खातो में | | 1,914,085,286 | | 2,026,394,520 |
| **योग** | | **3,609,200,754** | | **4,324,422,575** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'15' अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम** | | | | |
| असंरक्षित, शोध्य विचारित | | | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम | | 2,787,468 | | 2,516,052 |
| (वेतन से समायोजन/वसूली योग्य) | | | | |
| स्रोत पर कर कटौती | | 40,689,722 | | 27,203,692 |
| आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम | 454,080,767 | | 399,178,554 | |
| घटाये : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान | 39,917,855 | 414,162,912 | 39,917,855 | 359,260,699 |
| **योग** | | **457,640,102** | | **388980443** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को | | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'16' अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ** | | | | |
| असंरक्षित, शोध्य विचारित : | | | | |
| **अन्तर निगम अवशेष** | | | | |
| यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल. | 150,077,086 | | 101,686,569 | |
| यू.पी.जे.वी.एन.एल. | 3,434,784 | 153,511,870 | 3,279,804 | 104,966,373 |
| **प्राप्ति योग्य :** | | | | |
| कर्मचारियों से | 37,253,952 | | 38,336,285 | |
| अन्य से | 124,353,338 | | 116,359,340 | |
| योग | 161,607,290 | | 154,695,625 | |
| घटाया : संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान | 32,263,833 | 129,343,457 | 32,263,833 | 122,431,792 |
| अन्तर इकाई हस्तांतरण | | 975,337,722 | | – |
| सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं | | 249,548 | | 237,882 |
| पूर्वावधि व्यय | | 1,392,483 | | 86,567 |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी जांच हेतु लम्बित | 1,130,636 | | 1,045,672 | |
| घटाया : अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान | 1,130,636 | – | 1,045,672 | – |
| **योग** | | **1,259,835,080** | | **227,722,614** |

| आभा सेठी टण्डन | डा. उमा कान्त यादव | ए.के. गुप्ता | एस.के. अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं., लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|
| **नोट–'17' परिचालन से राजस्व** | | |
| **सेवाओं की बिक्री :** | | |
| पारेषण प्रभार | 12,858,192,345 | 8,927,374,053 |
| खुली पहुँच प्रभार | 209,647,377 | 494,468,071 |
| एस॰एल॰डी॰सी॰ प्रभार | 19,935,222 | 16,299,100 |
| **परिचालन से राजस्व (सकल)** | **13,087,774,944** | **9,438,141,224** |
| घटाया–उत्पाद शुल्क/सेवा कर की वसूली | – | – |
| **परिचालन से राजस्व (शुद्ध)** | **13,087,774,944** | **9,438,141,224** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के | |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'18' अन्य आय** | | | | |
| **आय पर ब्याज :** | | | | |
| सावधि जमा | 25,405,465 | | 32,489,165 | |
| कर्मचारियों को ऋण | 31790 | | 74,632 | |
| अन्य | 5,996,636 | 31,433,891 | 746,962 | 33,310,759 |
| **अनुरक्षण एव शटडाउन प्रभार** | | 98,200,961 | | – |
| **अन्य अपरिचालन आय** | | | | |
| ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से आय | | 61,152,088 | | 201,587,515 |
| कर्मचारियों से किराया | | 728,953 | | 535,061 |
| विविध प्राप्तियां | | 15,904,829 | | 39,182,438 |
| प्राप्त सहायकी एवं अनुदान (बाढ़, आग, चक्रवात आदि से हानि) | | – | | 318,404 |
| योग | | **207,420,722** | | **274,934,177** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|
| <u>नोट–'19' कर्मचारी हितलाभ व्यय</u> | | |
| वेतन एवं भत्ते | 1,502,269,489 | 1,697,584,662 |
| महंगाई भत्ता | 1,000,159,208 | 945,514,654 |
| बोनस/अनुग्रह भत्ता | 21,456,864 | 20,902,240 |
| अन्य भत्ते | 107,427,233 | 128,197,817 |
| पेन्शन एवं ग्रेच्युटी | 389,337,546 | 431,486,752 |
| चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति) | 11,487,724 | 17,518,054 |
| अवकाश यात्रा सहायता | 17,468 | 1,401,470 |
| उपार्जित अवकाश नकदीकरण | 149,548,061 | 223,523,053 |
| क्षतिपूर्ति | 2,463,754 | 574,551 |
| प्राविडेंट फन्ड एवं अन्य फन्ड में अंशदान | 47,562,534 | 42,445,495 |
| साख पर व्यय | 4,156,759 | 2,794,665 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 2,005,139 | 2,697,209 |
| सामान्य व्यय (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ को आरोपनीय) | 211,716,355 | – |
| **उप योग** | **3,449,608,134** | **3,514,640,622** |
| घटायें– पूँजीकृत व्यय | 751,245,205 | 1,232,732,616 |
| **योग** | **2,698,362,929** | **2,281,908,006** |

टिप्पणी–पूर्व वर्ष में रू॰ 26.51 करोड़ का यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा भारित सामान्य व्यय, कर्मचारी हित लाभ के सम्बन्धित लेखा शीर्ष में सम्मिलित था। इस वर्ष सामान्य व्यय प्रकटन हेतु अलग से वर्णित किया गया है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'20' वित्त व्यय** | | | | |
| (अ) ब्याज व्यय : | | | | |
| **दीर्घावधि ऋण** | | | | |
| उत्तर प्रदेश सरकार | 145,429,392 | | 145,429,392 | |
| पावर वित्त निगम | 2,326,389,805 | | 1,696,492,475 | |
| हुडको | – | | 18,991,697 | |
| एन॰सी॰आर॰पी॰बी॰ | 5,896,661 | | 12,092,308 | |
| आर॰ई॰सी॰ | 4,420,207,670 | 6,897,923,528 | 2,398,747,101 | 4,271,752,973 |
| (ब) **अन्य उधारी लागत** | | | | |
| प्रतिभूति (जमानत) प्रभार | | 29,232,343 | | 27,702,492 |
| बैंक प्रभार | | 417,777 | | 355,373 |
| **उप योग** | | **6,927,573,648** | | **4,299,810,838** |
| **घटाया** : पूंजीकृत व्यय | | 2,618,955,000 | | 1,891,889,000 |
| योग | | **4,308,618,648** | | **2,407,921,838** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'21' ह्रास एवं परिशोधन व्यय** | | | | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रास : | | | | |
| भवन | 88,893,662 | | 80,299,566 | |
| अन्य जनपदीय कार्य | 7,673,635 | | 7,535,092 | |
| सयंत्र एवं मशीनरी | 2,159,862,660 | | 1,954,853,189 | |
| लाइन केबिल नेटवर्क आदि | 1,615,605,550 | | 1,550,930,668 | |
| वाहन | 1,933,558 | | 3,223,111 | |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 937,027 | | 872,231 | |
| साफ्टवेयर | 1,726,023 | | – | |
| कार्यालय उपस्कर | 3,811,794 | | 2,758,279 | |
| अन्य परिसम्पत्तियां | 33,395,720 | 3,913,839,629 | 37,918,500 | 3,638,390,636 |
| घटाया : उपभोक्ता अंशदान से प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों का भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित धनराशि | | 164,445,201 | | 122,853,573 |
| योग | | **3,749,394,428** | | **3,515,537,063** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं., लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'22' प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय** | | | | |
| **सम्प्रेक्षकों को भुगतान :** | | | | |
| (अ) सम्प्रेक्षा फीस | 666,182 | | 666,182 | |
| (ब) जेब खर्च की प्रतिपूर्ति | 576,125 | 1,242,307 | 586,825 | 1,253,007 |
| विज्ञापन व्यय | | 8,815,243 | | 13,360,172 |
| संचार व्यय | | 16,851,921 | | 18,479,362 |
| परामर्श व्यय | | 119,207 | | 661,094 |
| विद्युत व्यय | | 8,418,024 | | 5,186,440 |
| मनोरंजन व्यय | | 7,500 | | 290,522 |
| धरोहर (साख) पर व्यय | | 187,858 | | 218,707 |
| बीमा | | 300,728 | | 260,905 |
| विधिक व्यय | | 5,283,917 | | 10,927,078 |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी पर हानि | | 84,964 | | – |
| विविध व्यय | | 45,266,577 | | 43,253,550 |
| छपाई एवं लेखन सामग्री | | 6,719,074 | | 6,544,193 |
| दर एवं शुल्क | | 5,411,715 | | 31,130 |
| किराया | | 1,554,571 | | 1,752,239 |
| तकनीकी फीस एवं व्यवसाय प्रभार | | 4,117,103 | | 6,778,028 |
| यात्रा एवं आवागमन | | 41,316,912 | | 38,453,033 |
| जल प्रभार | | 2,578,824 | | 27,707 |
| सामान्य व्यय (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ को आरोपणीय) | | 12,049,799 | | – |
| **उप योग** | | **160,326,244** | | **147,477,167** |
| **घटाया** : पूंजीगत व्यय | | 95,754,645 | | 60,440,647 |
| **उप योग** | | **64,571,599** | | **87,036,520** |
| प्रतिपूर्ति (स्टाफ के अतिरिक्त) | | – | | – |
| अन्य हानियां | | 86 | | 232,470 |
| **योग** | | **64,571,685** | | **87,268,990** |

टिप्पणी–पूर्व वर्ष में रू॰ 1.74 करोड़ का यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा भारित सामान्य व्यय, कर्मचारी हित लाभो को सम्बन्धित लेखा शीर्षो में सम्मिलित था। इस वर्ष प्रकटन हेतु सामान्य व्यय अलग से वर्णित किया गया है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|---|---|
| **नोट–'23' मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय** | | | | |
| संयत्र एवं मशीनरी | | 1,191,503,667 | | 994,621,426 |
| भवन | | 56,111,488 | | 45,305,747 |
| अन्य जानपदीय कार्य | | 1,396,683 | | 86,850 |
| लाइन, केबिल नेटवर्क आदि | | 179,746,167 | | 147,528,003 |
| वाहन–व्यय | 46,522,176 | | 40,636,988 | |
| घटाया : विभिन्न पूंजीगत/ओ॰ एण्ड एम॰ | 46,522,176 | – | 40,636,988 | – |
| कार्य एवं प्रशासनिक व्यय | | | | |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | | 65,020 | | 10243 |
| साफ्टवेयर | | 1,746,470 | | – |
| कार्यालय उपस्कर | | 795,998 | | 410,258 |
| **योग** | | **1,431,365,493** | | **1,187,962,527** |

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|
| **नोट–'24' अशोध्य ऋण एवं प्राविधान** | | |
| संदिग्ध अग्रिम (आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार) | – | 747,721 |
| चालू परिसम्पत्तियों से ऊपर संदिग्ध (प्राप्य) | – | 570,134 |
| पूंजीगत कार्यो के विरूद्ध संदिग्ध अग्रिम | – | 419,727,185 |
| **योग** | **–** | **421,045,040** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(धनराशि ₹ में)

| विवरण | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के |
|---|---|---|
| नोट–'25' शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय | | |
| **(अ) आय** | | |
| ब्याज आय | – | 2,259,625 |
| अन्य आय | (783321972) | (150,258) |
| अन्य आधिक्य प्रावधान | 40,000 | 177,571,300 |
| **उप योग (अ)** | **(783,281,972)** | **179,680,667** |
| **(ब) व्यय** | | |
| परिचालन एवं मरम्मत व्यय | 3,528,121 | 52,312,673 |
| कर्मचारी लागत | 6,543,401 | 6,700,400 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 9,219,016 | 345,164,556 |
| प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | 3,374,766 | 10,479,130 |
| ह्रास कम/अधिक प्रावधानित | 7,511,163 | 103,279,911 |
| उप योग (ब) | **30,176,467** | **517,936,670** |
| शुद्ध धनराशि (अ–ब) | **(813,458,439)** | **(338,256,003)** |

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

**राजीव नन्दन एण्ड कं॰, लखनऊ**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

# नोट–26 (अ)
# महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ

**1). सामान्य**

(अ) वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार बनाये जाते हैं। फिर भी इन लेखों को बनाने में जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखों) के नियम 1985 के संगत प्रावधानों को अंगीकार किया है।

(ब) लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोदभूत आधार पर, जब तक कि अन्यथा वर्णित न हो बनाये जाते है और लेखीय परिकल्पना के आधार पर कि व्यापार चलता रहेगा।

(स) सहायिकी, अनुदान, बीमा एवं अन्य दावे, सीमा शुल्क की वापसी, आय–कर एवं व्यापार कर पर ब्याज का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है। कर्मचारियों को ऋणों पर ब्याज का लेखांकन मूलधन की वापसी के पश्चात प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

**2). स्थायी परिसम्पत्तियाँ**

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ संचयी ह्रास के पश्चात् ऐतिहासिक मूल्य पर दिखायी जाती हैं।

(ब) सम्पत्तियों को प्राप्त करने एवं परिचालन करने की तिथि तक सभी लागत पूंजीकृत की जाती हैं।

(स) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए प्राप्त उपभोक्ता अंशदान प्रारम्भ में पूंजीगत कोष माना जाता है एवं तत्पश्चात सम्बन्धित परिसम्पत्ति को भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित कर दिया जाता है।

(द) परिचालित की गयी परिसम्पत्तियों के मामलो में, जहाँ ठेकेदार के बिलों का अन्तिम निस्तारण होना बाकी हो, पूंजीकरण इस शर्ताधीन किया जाता है कि आवश्यक समायोजन निस्तारण के अन्तिम वर्ष में कर दिया जायेगा।

(य) कार्यकारी इकाइयों की अधिकता के साथ–साथ किसी का पूंजीकरण इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की अधिकता के कारण कर्मचारी लागत एवं सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों, पूंजीगत कार्यो पर हुए कुल व्यय पर निम्नानुसार किया जाता है।

**पूंजीगत पारेषण कार्यों के लिए**

(i) @ 10% 132 एवं 220 के0वी0 उपसंस्थानों एवं लाइनों पर

(ii) @ 8% 400 के0वी0 उपसंस्थानों एवं लाइनों पर एवं

(iii) @ 6% 765 के0वी0 उपसंस्थानों एवं लाइनों पर

निक्षेप कार्यों पर 15% एवं अन्य पूंजीगत कार्यों पर 11%

(र) पूंजीगत परिसम्पत्तियों की निर्माण अवधि में उधारी लागत को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्यों की प्रगति, के औसत अवशेष के आधार पर बांटा जाता है। पूंजीगत कार्यों पर आरोपणीय उधारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखें) नियम 1985 में दी गयी गणना की विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

**3). ह्रास**

(अ) ह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–(XIV) में दी गयी दरों के अनुसार ह्रास का भारण सीधी रेखा पद्धति के अनुसार भारित किया जाता है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में हुए परिवर्धनों/कमियों पर ह्रास का भारण यथानुपात किया जाता है।

(स) स्थायी परिसम्पत्तियों को मूल लागत के 95% तक ह्रासित किया जाता है।

**4). <u>भण्डार एवं कल पुर्जे</u>**

(अ) भण्डार एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

(ब) स्टील रद्दी सामान का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है तथा स्टील रद्दी सामान के अतिरिक्त का लेखो में लेखांकन जब भी बेचा जाता है तब किया जाता है।

(स) वर्ष में भण्डार में पायी गयी कमी/आधिक्य को भण्डार कमी /आधिक्य के रूप में जांच हेतु लम्बित के रूप में, जब तक जांच पूरी न हो जाये दिखाया जाता है।

**5). <u>राजस्व मान्यता</u>**

(अ) ऊर्जा के अन्तर पारेषण को राजस्व लेखों में यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा अनुमोदित दर सूची एवं ट्रू–अप में वास्तविक दर–सूची में दर्शाये गये अन्तर को सम्प्रेक्षित लेखो के आधार पर ट्रू–अप पर यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ के निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) अन्तर राज्यीय पारेषण के सन्दर्भ में ऊर्जा के पारेषण /खुली पहुॅच की मान्यता/लेखांकन एन॰आर॰एल॰डी॰ओ॰ द्वारा अनुमोदित दरों पर नकद आधार पर किया जाता है।

**6).** सभी पूर्वावधि आय/व्यय चालू अवधि में एक सुस्पष्ट मद के रूप में दर्शाये जाते हैं।

**7). <u>कर्मचारी लाभ</u>**

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ एवं एल॰टी॰सी॰ का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया गया है।

**8). <u>प्रावधान, प्रासंगिक दायित्व एवं परिसम्पत्तियाँ</u>**

(अ) प्रावधानों का लेखांकन अनुमानित व्ययों के आधार पर, जहाँ तक सम्भव हो सके, अनुमानित दायित्वों के निपटारे हेतु किया गया है।

(ब) प्रासंगिक दायित्वों का प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है।

(स) वसूल न होने योग्य प्रासंगिक परिसम्पत्तियों से आय को मान्यता नहीं दी गयी है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

इसी तिथि की हमारी रिर्पोट की शर्ताधीन

**कृते राजीव नन्दन एण्ड कं॰**

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

**पवन कुमार अग्रवाल**

साझीदार

एम॰नं॰ 073070

एफ॰आर॰नं॰ 003347सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 17–04–2014

## नोट–26 (ब)

### दिनांक 31 मार्च, 2015 के आर्थिक चिट्ठे एवं इसी दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण पर लेखों के साथ संलग्न टिप्पिणियां जो उसका अभिन्न अंग है :–

1. (अ) उत्तर प्रदेश पावर टांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰) के वर्तमान स्वरूप का गठन, जब यू॰पी॰ शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (दिनांक 31.05.2004 को गठित) दिनांक 13.07.2006 को स्मृति–पत्र का नाम एवं उद्देश्य बदलकर दिया गया।

(ब) राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं॰ 2974(1) 24–पी–2–2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा अनन्तिम अन्तरण योजना अधिसूचित की जिसका उद्देश्य पारेषण क्रियाकलापों को यू॰पी॰ पावर कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰) से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰) को अन्तरित करना था, जिसमें व्यापार का कार्यक्षेत्र यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की परिसम्पत्तियों एवं दायित्व नैमितिक एवं आनुषंगिक मामलो का विवरण दिया गया था। अनन्तिम अन्तरण योजना की प्रभावी तिथि 01.04.2007 परिभाषित की गयी थी। इस तिथि से यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ ने पारेषण एवं सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए स्वतंत्र अस्तित्व की तरह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 2003 की धारा 39 के अनुसार यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एक राज्य उपयोगिता है।

अधिसूचना संख्या 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा राज्य सरकार ने अनन्तिम अन्तरण योजना भी अपने कर्मियों एवं पारेषण उपक्रमों की कार्यवाहियों से सम्बन्धित अधिसूचित की है। योजना को इसके लिए अन्तिम रूप दिया जाना प्रक्रिया में है।

(स) पुनर्संरचना खाते की धनराशि रु॰ 180.70 करोड़ (पूर्व वर्ष 80.72 करोड़)को वर्ष 2007–08 में कोष एवं अग्रिम में दिखाया गया था यह 01.04.2007 को इकाईवार अवशेष एवं अनन्तिम अंतरण योजना मे समेकित अवशेषों में अन्तर से सम्बन्धित है। योजना की अन्तिमीकरण प्रक्रिया में है।

2. (अ) सम्बन्धित इकायों द्वारा सूचित किया गया है कि प्रारम्भ से आपूर्तिकर्त्ताओं /ठेकेदारों को पूंजीगत अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों, हेतु किये गये अग्रिम भुगतान में अशोध्य ऋण का कोई प्रकरण नहीं है इसीलिए वर्ष में ''संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों'' हेतु 10 प्रतिशत की दर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण लाभ के घटने एवं आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों दोनों को किये गये भुगतान में अन्यथा 27.18 करोड़ की कमी का प्रभाव डालता। फलस्वरूप, ''संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों'' पर किये जाने वाले प्रावधान को बन्द कर दिया गया है।

(ब) उपरोक्त 2(अ) में दी गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संदिग्ध प्राप्यों के लिए ''कर्मचारियों'' एवं ''अन्यों'' के लिए अन्य चालू सम्पत्तियों के शीर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसका अन्यथा प्रभाव लाभ के घटने एवं ''कर्मचारियों एवं अन्य से प्राप्यों'' की कमी 0.07 करोड़ रूपये (दोनों पर) से पड़ता।

3. वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विलम्बित या अन्यथा चालू पंजीगत कार्यो एवं पूंजीगत आपूर्तिकर्ताओं पर ली जाने वाली पेनाल्टी को आय के रूप में दर्शाया जाता था जिसे अब वापिस ले लिया गया है तथा आर्थिक चिट्ठे में या तो निक्षेय एवं रोकी गयी धनराशि ''आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से'' (टिप्पणी सं॰–7 अन्य चालू सम्पत्तियों) से दर्शाया गया है

जिसे आगामी वर्षो के सम्बन्धित कार्यो/संविदाओं में समायोजित कर लिया जायेगा या इसे सम्बन्धित कार्यो की पूंजीगत लागत में कम कर दिया जायेगा। इसका प्रभाव चालू दायित्वों में रु॰ 50.12 करोड़ की वृद्धि, पूंजीगत कार्य प्रगति में रू॰ 23.93 करोड़ की कमी एवं पूर्वावधि अन्य आय में 74.05 करोड़ की कमी के रूप में दर्शित हो रहा है।

4. (अ) अन्तर इकाई लेन–देन : अन्तर इकाई लेन–देन रु॰ 97.53 करोड़ (डेबिट) जो आर्थिक चिट्ठे में दिखाया गया है (पूर्व वर्ष क्रेडिट अवशेष रु॰ 56.46 करोड़) समाधान प्रक्रिया में है तथा समाधान का प्रभाव, यदि कोई हुआ, का लेखांकन आने वाले वर्षों में किया जायेगा।

(ब) अन्तर कारपोरेशन लेन–देन : अन्तर कारपोरेशन लेन देनों रु॰ 53.12 करोड़ (क्रेडिट) जो आर्थिक चिटठे में दर्शायी गयी (पूर्व वर्ष 91.57 करोड़ क्रेडिट अवशेष) का समाधान प्रक्रिया में है और समाधान का प्रभाव, यदि कोई होगा, का लेखांकन आने वाले वर्षो में किया जायेगा।

5. जहाँ कही त्यागी गयी/सेवा कार्य से अलग की गयी। अप्रचलित स्थायी सम्पत्ति की ऐतिहासिक लागत उपलब्ध न हो, ऐसी परिसम्पत्ति की अनुमानित लागत एवं उस पर ह्रास का समायोजन एवं लेखांकन कर लिया गया है।

6. समग्र रूप से स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य व्यवसाय की साधारणतया उनके आर्थिक चिट्ठे में दर्शाये गये मूल्य के बाराबर ही होता है।

7. एम॰एस॰एन॰डी॰ अधिनियम, 2006 के अनुपालन के सम्बन्ध में न तो इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों द्वारा अदत्त दायित्वों का विवरण यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ के अन्तर्गत इकाइयों द्वारा सूचित किया गया है और न ही अदत्त धनराशियों पर उपक्रमों द्वारा कोई ब्याज का दावा किया गया है और इसीलिए वार्षिक विवरण में ऐसे विशिष्ट अदत्त धनराशियों का ब्याज सहित विवरण देना वांछित नहीं है फिर भी अधिनियम के प्रावधानों को अनुपालन करने के लिए विशिष्ट तथा यथार्थ होने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सभी संघटक इकाइयों को भेज दिये गये हैं।

8. अन्तर राज्यों से सम्बन्धित ऊर्जा पारेषण का लेखांकन यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा अनुमोदित दर यथा 0.174 के॰डब्लू॰एच॰ के आधार पर किया गया है।

9. एस॰एल॰डी॰सी॰ के पृथक कार्य के भाग के रूप में, कम्पनी एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेखों का रख–रखाव अलग से कर रही है। एस॰एल॰डी॰सी॰ से सम्बन्धित टिप्पणी 17 में अलग से दिये गये प्रभारों का ब्यौरा नीये दिया गया है

धनराशि ₹ में

| विवरण | 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वार्षिक प्रभार | 8000000 | 6300050 |
| आवेदन शुल्क/सहमति शुल्क | 2185000 | 925000 |
| विविध आय | 72156 | 287050 |
| एस.एल.डी.सी. प्रभार | 9678066 | 8787000 |
| **योग** | **19935222** | **16299100** |

10. सम्प्रेक्षक का पारिश्रमिक :

| विवरण | 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वैधानिक सम्प्रेक्षक सम्प्रेक्षण फीस के तौर पर (सर्विस टैक्स जहाँ कहीं लागू हो) | 666182 | 666182 |
| जेब व्यय की प्रतिपूर्ति | 576125 | 586825 |
| **योग** | **1242307** | **1253007** |

11. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय :

| | विवरण | 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| (अ) | आयात का सी.आई.एफ. कीमत | शून्य | शून्य |
| (ब) | विदेशी मुद्रा में उपार्जन | शून्य | शून्य |
| (स) | विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय | | |
| | यात्रा व्यय (यू॰एस॰डी॰) | 892 | – |
| | यात्रा व्यय (आर॰एम॰बी॰) | – | – |
| | परामर्शी प्रभार (यू॰एस॰डी॰) | – | 404673 |
| | **योग** | **892** | **404673** |

12 (अ) बीमांकक रिपोर्ट दिनांक 09.11.2000 के आधार पर (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ के निदेशक मंडल द्वारा अंगीकृत) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी की प्रोद्भूत दायित्व हेतु प्रावधान मूल वेतन एवं ग्रेड पे प्लस महंगाई भत्ते के योग पर क्रमशः 16.70% एवं 2.38% की दर से किया गया है। कम्पनी ने बीमांकक रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है ताकि पेन्शन एवं गेच्युटी के दायित्व की नये सिरे से मान्यता हो सके।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ एवं एल॰टी॰सी॰ का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त हुए अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है।

13. क्योंकि कारपोरेशन मुख्यतः ऊर्जा के पारेषण का कार्य कर रहा है और लेखीय मानकता के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है, इसलिए लेखीय मानक–17 के अनुसार खण्डवार प्रकटन आवश्यक नहीं है। फिर भी एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेन–देनों से सम्बन्धित क्रियाकलापों का वर्णन विशेष रूप से प्रस्तर–9 में विस्तार से किया गया है।

14. **सम्बन्धित पक्ष की सूचना :–**

इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा जारी लेखीय मानक–18 के अनुसार कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

**(अ) <u>सम्बन्धित पक्षों की लिस्ट (शीर्ष प्रबंधन कार्यकर्त्ता)</u> :**

1. शीर्ष प्रबंधन कार्यकर्ता एवं उनके सम्बन्धी

| नाम | पदनाम | कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए) | |
|---|---|---|---|
| | | नियुक्ति | सेवानिवृत्ति / समाप्ति 31-03-2013 को |
| श्री संजीव मित्तल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 16.01.2013 | 23.01.2013 |
| श्री संजीव मित्तल | अध्यक्ष | 23.01.2013 | 08.02.2013 |
| श्री आलोक कुमार | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 08.02.2013 | कार्यरत |
| श्री ए॰के॰ अवस्थी | प्रबंध निदेशक | 30.03.2012 | 30.07.2012 |
| श्री ए॰के॰ गुप्ता | प्रबंध निदेशक | 31.07.2012 | 16.01.2013 |
| श्री धीरज साहू | प्रबंध निदेशक | 23.01.2013 | 08.02.2013 |
| श्री एस॰के॰ अग्रवाल | निदेशक (वित्त) | 09.01.2009 | कार्यरत |
| श्री नील रतन कुमार | निदेशक | 06.10.2010 | कार्यरत |
| श्री एस॰के॰ गुप्ता | निदेशक | 07.06.2011 | कार्यरत |
| श्री रवि शंकर पांडे | निदेशक (कार्मिक) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| श्री अशोक कुमार सिंह | निदेशक (परिचालन) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| श्री सुनील कुमार गर्ग | निदेशक (कार्य संयोजन) | 21.11.2011 | कार्यरत |
| श्री ओ॰पी॰ जैन | निदेशक (वाणिज्य) | 25.11.2011 | कार्यरत |
| श्री प्रभाकर सिंह | निदेशक | 11.12.2012 | कार्यरत |

(ब) लेनदेन :

| विवरण | 2012–13 | 2011–12 |
|---|---|---|
| | (अ) (i) में सन्दर्भित | (अ) (i) में सन्दर्भित |
| वेतन एवं भत्ते | 5977764 | 1025473 |
| ग्रेच्युटी / पेन्शन / भविष्य निधि के लिए अंशदान | 209117 | 98300 |
| निदेशकों से प्राप्त ऋण | – | – |

(स) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति / मनोनयन उ॰प्र॰ शासन द्वारा यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ के लिए किया गया है और जिसके पास कम्पनी का अतिरिक्त कार्यभार भी है और उन्होंने अपना पारिश्रमिक अपने अधिकार के अनुसार यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰से प्राप्त किया है।

(द) कम्पनी के कोई सम्बन्धित पार्टी उपक्रम नहीं है सिवाय राज्य नियंत्रित उपक्रमों के और उनका विवरण / लेन–देनों का प्रकटन लेखीय मानक–18 के प्रस्तर–9 के उद्देश्य से नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उपक्रमों को किन्हीं अन्य सम्बन्धित पक्षों, जो स्वयं भी नियंत्रित है, ऐसा प्रकटन करने से मुक्त करता है।

15. प्रति अंश मौलिक एवं घुलित उपार्जन लाभ एवं हानि खाते में लेखीय मानक–20 (ई॰पी॰एस॰) के अनुसार दिखाये गये हैं। प्रति अंश मौलिक उपार्जन की गणना, कर के पश्चात शुद्ध हानि को वर्ष में समता अंशो के भारित औसत

से भाग करके निकाला गया है। प्रति समता अंश घुलित उपार्जन की गणना करने में समता अंश धनराशि (जो आवंटन हेतु लम्बित है) भी सम्मिलित है।

(धनराशि ₹ में)

| | विवरण | 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| (i) | मौलिक ई.पी.एस. | | |
| | लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ) | 229424044 | (526824066) |
| | औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब) | 28496933 | 4335500 |
| | प्रति अंश मौलिक उपार्जन (अ/ब) | 8.05 | (121.51) |
| | प्रति अंश प्रत्यक्ष मूल्य | 1000 | 1000 |
| (ii) | घुलित ई.पी.एस. | | |
| | कर के पश्चात लाभ एवं हानि खाते के अनुसार (अ) | 229424044 | (526824066) |
| | औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब) | 47330933 | 42497977 |
| | तनुकृत उपार्जन प्रति अंश (अ/ब) | 4.85 | (12.40) |
| | प्रति अंश प्रत्यक्ष मूल्य | 1000 | 1000 |

16. आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का लेखांकन विवेकानुसार विचारित नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी को निकट भविष्य में सारगर्भित आय की आशा नहीं है क्योंकि असमाहित संचयी हानियाँ रू0 1123.86 करोड़ की है। इसमें संचयी हानियां रू0 976.27 भी सम्मिलित है जिसे यू0पी0पी0सी0एल0 ने अनन्तिम अन्तरण योजना के अर्न्तगत अन्तरित किया है एवं 57.88 करोड़ की संचयी हानियां, जो वित्तीय वर्ष 2011–12 से पूर्व की अन्तरण योजना में डेबिट की गयी हैं। उपर्युक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरक (उ0प्र0पा0का0लि0) से हस्तान्तरी (उ0प्र0पा0ट्र0का0लि0) को पारेषण उपक्रमों का हस्तान्तरण, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा–2 (19एए) के अभिप्राय से हस्तान्तरक का अविलीनीकरण हो जायेगा।

17. मौलिक लेखीय सिद्धान्तों एवं नीतियों के अनुलग्नक–III में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, जो विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, वार्षिक लेखों में नियम 1985 के साथ संलग्न है, प्रावधानित करता है ''कि निगम की स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखीय पुस्तकों में अभिलेखन किया जायेगा एवं इनका प्रकटन वार्षिक लेखों में ऐतिहासिक लागत पर तैयार किया जायेगा। इस नीति की यह मंशा है कि स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, इसके पुनर्स्थापन लागत, चालू लागत, के अनुसार समायोजन की दृष्टि से नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार पुनर्स्थापन लागत पर ह्रास भी अनुमन्य नहीं होगा'' जो विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप है।

इस प्रकार लेखीय मानक–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, अगर परिसम्पत्तियों की आगे ले जानी वाली लागत को निर्धारित करने हेतु किया जाये, तो इसका प्रभाव विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियम 1985 के उल्लंघन के रूप में हो सकता है। इसलिए मौलिक लेखीय नीतियाँ अनुलग्नक–III में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया गया हैं।

18. वर्ष मे पारेषित/चक्रीय ऊर्जा 73897.657156 मि॰यू॰ (पूर्व वर्ष –70371–050500 मि॰यू॰)

**19.** आकस्मिक दायित्व एवं पूंजीगत वचनबद्धता (निश्चयात्मकता होने की सीमा तक एवं प्रावधानित न किये गये)

(धनराशि ₹ में)

| | विवरण | 31.03.2013 को | 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| (i) | पूंजीगत कार्यो के असम्पादित ठेके जिनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया | 1098.82 | 1033.44 |
| (ii) | कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया | 21.14 | 29.85 |
| | **योग** | **1119.96** | **1063.29** |

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–2 अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, उनका निपटारा उनके उद्भूत होने पर किया जायेगा।

**20.** लेखीय मानक–29 के अनुसार प्रकटन निम्न प्रकार है

| विवरण | प्रविधानों की संचलन | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01-04-2012 को अवशेष ₹ | वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान ₹ | वर्ष के दौरान समायोजित किये गये प्रावधान ₹ | 31-03-2013 को अवशेष ₹ |
| पूँजीगत कार्यो के लिए किये गये संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान | 816729862 | – | – | 816729862 |
| अप्रचलित/निरर्थक/कमियों एवं भण्डार की हानि के लिए प्रावधान | 405415836 | – | 3167 | 405412669 |
| संदिध प्राप्यों के लिए प्रावधान | 32263833 | – | – | 32263833 |
| स्थायी परिसम्पत्तियों के चोरी के लिए प्रावधान | 1045672 | 84964 | – | 1130636 |
| ओ॰ एण्ड एम॰ कार्यों हेतु दिये गये संदिग्ध अग्रिमों के विरूद्ध प्रावधान | 39917855 | – | – | 39917855 |
| **योग** | **1295373058** | **84964** | **3167** | **1295454855** |

21 पूर्व वर्ष के आंकड़े जहां कहीं उचित समझा गया, का पुनः वर्गीकरण /एकीकरण एवं दोबारा गणना की गयी है।

22 आर्थिक चिट्ठे, लाभ हानि विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों के आंकड़ों को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया गया है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए॰के॰ गुप्ता | एस॰के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

इसी तिथि की हमारी रिर्पोट की शर्ताधीन

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

**कृते राजीव नन्दन एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम॰नं॰ 073070
एफ॰आर॰नं॰ 003347सी

## 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(धनराशि ₹ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| (अ) | **परिचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| | पूर्वावधि आय/व्यय के पूर्व शुद्ध लाभ (हानि) कर लेकिन असमान्य मदों के पश्चात् | 1,042,882,483 | (188,568,063) |
| | जोड़े स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी पर हानि | 84,964 | – |
| | पूर्वावधि आय/व्यय से पूर्व शुद्ध लाभ (हानि) लेकिन असमान्य मदों से पूर्व | 1,042,967,447 | (188,568,063) |
| | **निम्न के लिए समायोजन** | | |
| (अ) | ह्रास | 3,936,605,026 | 3,750,089,062 |
| (ब) | ब्याज एवं वित्त प्रभार | 4,308,618,648 | 2,407,921,838 |
| (स) | अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण | – | 421,045,040 |
| (द) | अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान लेखों में वापस लिये गये (व्यापार प्राप्य) | | (177,571,300) |
| (य) | अप्रचालित/निरर्थक/कमियों/भण्डार की हानि समायोजित के लिए प्रावधान | (3167) | (82,036) |
| (र) | अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान | 84,964 | – |
| (ल) | ब्याज आय | (31,433,891) | (33,310,760) |
| (व) | पूर्वावधि व्यय (शुद्ध) | (813,458,439) | (338,256,003) |
| (द) | अन्तरण योजना से पूर्व संचयी हानि | – | (578,792,872) |
| | **कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ** | **8,443,380,588** | **5,262,474,906** |
| | निम्न के लिए समायोजन | | |
| (अ) | भंडार सूची में कमी/(बढ़ोतरी) के लिए | (859,659,013) | (1,679,691,708) |
| (ब) | व्यापारिक प्राप्यों से कमी/(बढ़ोतरी) के लिए | (11,749,902,685) | (4,423,265,184) |
| (स) | अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(बढ़ोतरी) के लिए | (1,032,197,430) | (15,209,961) |
| (द) | अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/बढ़ोतरी के लिए | (68,659,659) | (15,971,425) |
| (य) | अल्पावधि उधारी में बढ़ोतरी/कमी के लिए | (2,000,000,000) | 2,000,000,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (र) | अन्य चालू दायित्वों में बढ़ोतरी/कमी के लिए | 3,802,924,950 | 4,735,582,225 |
| | **परिचालन से नकद उत्पत्ति** | (3,464,113,249) | 5,863,918,853 |
| | करों का भुगतान | – | – |
| | नकद प्रवाह–असमान्य मदों से पूर्व | (3,464,113,249) | 5,863,918,853 |
| | घटाये : स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी से हानि | 84,964 | – |
| | **परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व शुद्ध नकद रोकड प्रवाह (अ)** | (3,464,198,213) | 5,863,918,853 |
| (ब) | **विनियोजन क्रियाकलापों में नकद प्रवाह** | | |
| (अ) | मूर्त परिसम्पत्तियों में कमी/बढ़ोतरी | (5,563,073,576) | (7,428,981,978) |
| | (i) मूर्त परिसम्पत्तियां समायोजित/घटाया | 984,659,500 | 706,587,091 |
| | (ii) ह्रास कोष का समायोजित/घटाना | (336,973,638) | (256,643,974) |
| (ब) | मूर्त परिसम्पत्तियों में कमी/बढ़ोतरी | (12,527,650) | – |
| | (i) अमूर्त परिसम्पत्तियां समायोजित/घटाया | – | – |
| | (ii) ह्रास कोष समायोजित/घटाया | – | – |
| (स) | पूंजीगत कार्य प्रगति में कमी (बढ़ोतरी) | (5,603,184,510) | (7,253,022,246) |
| (द) | दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों में कमी/बढ़ोतरी | (6,919,277,871) | (12,286,762,095) |
| (य) | प्राप्त ब्याज | 31,433,891 | 33,310,759 |
| | **विनियोजन गतिविधियों में शुद्ध नकद प्रयोग (उप योग) (ब)** | **(17,418,943,854)** | **(26,485,512,443)** |
| (स) | **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद रोकड़ प्रवाह** | | |
| (अ) | उधारी से प्राप्ति (शुद्ध) | 16,414,347,197 | 17,966,227,575 |
| (ब) | अंश पूंजी से प्राप्ति | 41,419,600,000 | – |
| (स) | अंश आवेदन धनराशि से प्राप्ति | (33,419,600,000) | 4,090,548,000 |
| (द) | अन्य दीर्घावधि दायित्व | (63,537,178) | 677,456,865 |
| (य) | उपभोक्ता अंशदान एवं शासन से प्राप्त सहायिकी | 305,428,309 | 1,218,920,406 |
| (य) | (i) परिशोधित धनराशि | (179,699,434) | (131,272,088) |
| (र) | ब्याज एवं वित्त प्रभार | (4,308,618,648) | (2,407,921,838) |
| | **विनियोजन क्रियाकलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)** | **20,167,920,246** | **21,413,958,920** |
| | नकद एवं नकद समतुल्य से शुद्ध रोकड़/रोकड़ | (715,221,821) | 792,365,330 |

| | | |
|---|---|---|
| समतुल्य (अ+ब +स) | | |
| नकद एवं नकद समतुल्य वर्ष के प्रारम्भ में | 4,324,422,575 | 3,532,057,245 |
| नकद एवं नकद समतुल्य वर्ष के अन्त में | 3,609,200,754 | 4,324,422,575 |

**नकद रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियां**

| | | |
|---|---|---|
| (i) नकद एवं नकद समतुल्य वर्ष के अंत में | | |
| नकद हाथ में | 638,205 | 550,271 |
| बैंक में अवशेष | | |
| (i) चालू एवं अन्य खाते में | 1,694,477,263 | 2,297,477,784 |
| (ii) सावधि जमा में | 1,914,085,286 | 2,026,394,520 |
| **योग** | **3,609,200,754** | **4,324,422,575** |

(ii) लेखीय मानक–3 के अनुसार इस विवरण को अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया है।

(iii) आर्थिक चिट्ठे की टिप्पणी–8 के अनुसार इसमें रु0 22,765,396/– पूर्व वर्ष के लिए भारित (पूर्व वर्ष रु0 112576685) सम्मिलित है।

(iv) नकद एवं नकद समतुल्य में नकद हाथ में चालू एवं अन्य खातो तथा बैंको के पास सावधि जमा सम्मिलित है।

(v) इस विवरण में आंकड़ों को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया गया है।

(vi) पूर्व वर्ष के आंकडो का पुन वर्गीकरण/एकीकरण एवं दोबारा गणना की गयी है।

| आभा सेठी टण्डन | डा॰ उमा कान्त यादव | ए.के॰ गुप्ता | एस.के॰ अग्रवाल | कामरान रिजवी |
|---|---|---|---|---|
| कम्पनी सचिव (अंशकालिक) | उप महाप्रबन्धक (लेखा) | महाप्रबन्धक (लेखा) | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |

इसी तिथि की हमारी रिर्पोट की शर्ताधीन
**कृते राजीव नन्दन एण्ड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम॰नं॰ 073070
एफ॰आर॰नं॰ 003347सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

राजीव नन्दन एण्ड क॰
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय
301 ए, द्वितीय तल,
गोविन्दा अपार्टमेन्ट
1–अ, शाहनजफ रोड, लखनऊ

# सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि.)
लखनऊ

## वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

1. हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ लखनऊ के 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरणों एवं उस तिथि को समाप्त संलग्न लाभ हानि खाते का सम्प्रेक्षण किया है, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में हस्ताक्षरित किया है जिसमें ऋण एवं निधियों के हमारे द्वारा सम्प्रेक्षित इकाइयों के लेखे एवं चार पारेषण परिक्षेत्रों, जो जिनका सम्प्रेक्षण क्रमशः सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, को समाविष्ट किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना हैं।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :

2. प्रबन्धन इन वित्तीय विवरणों को बनाने हेतु उत्तरदायी है जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय सम्पादन एवं नकद प्रवाह हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के उपनियम 3(स) नियम–211 में दिये गये लेखीय मानकों के अनुरूप कम्पनी की यथार्थ एवं स्वच्छ स्थिति दर्शाता है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुत करने, प्रभावकारी रूप से पूर्ण करने एवं आन्तरिक नियंत्रण को प्रतिपादित करने के अवयव सम्मिलित हैं, ताकि वे यथार्थ एवं स्वच्छ स्थिति दर्शायें जो कि धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण मिथ्या वर्णनों से रहित हों।

## सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

3 हमारा उत्तरदायित्व हमारे सम्प्रेक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सम्प्रेक्षा मानकों के अनुसार किया हैं। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आचार नियामावली का पालन करें तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना इस प्रकार बनायें कि हम आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णन से रहित हैं।

4 सम्प्रेक्षण उस क्रिया का होना संकेत करता है जो वित्तीय विवरणों में धनराशियों एवं प्रकटनों को सम्प्रेक्षक प्रमाण लेते हैं। अपनायी गयी कार्यविधियाँ सम्प्रेक्षक के अनुमान पर आधारित होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा–धड़ी या छल कपट के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के आंकलन में सन्देह रहता है। ऐसे सन्देहपूर्ण निर्धारण करने में सम्प्रेक्षक यह सोचते है कि कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तथ्यपरक रूप से तैयार करें, ताकि सम्प्रेक्षा की कार्यविधि उन स्थितियों में संगत हों। सम्प्रेक्षा में अपनायी गयी लेखीय नीतियों की तर्कसंगता का मूल्यांकन तथा प्रबन्धन द्वारा लेखीय अनुमानों की युक्तियुक्त एवं समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की दर्शनीयता भी सम्मिलित होती है।

5. हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत सम्प्रेक्षा प्रमाण, पर्याप्त एवं उचित है जो हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार प्रस्तुत करता है।

6. हम अग्रेतर सूचित करते हैं –

(अ) कोष एवं आधिक्य में पुनर्संरचना खाते में वर्ष के अन्त में रु॰ 180.72 करोड़ का अवशेष है। यह दिनांक 01.04.2007 को खाता बहियों के अनुसार ईकाइवार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों के योग एवं उ॰प्र॰ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित गजट अधिसूचना सं0 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23-12-2010 में दी गयी अन्तरण योजना में दिये गये अवशेषों के जोड़ में अन्तर के कारण है। कथित अन्तरण योजना अन्तिमीकरण हेतु लम्बित है जो वित्तीय विवरणों में दिये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को परिवर्तित कर सकती है टिप्पणी 26 ब के प्रस्तर–1(सी) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

(ब) टिप्पणी सं॰ 26अ मे दी गयी लेखीय नीति के अनुसार वर्ष का पारेषण राजस्व को दर सूची 0.1740 के॰वी॰एच॰ के आधार पर मान्यता दी गयी है संख्या 5 (जैसा कि टिप्पणी सं॰ 26ब) के प्रस्तर सं॰ 8 में इंगित है जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा ऊर्जा के अन्तर राज्यीय पारेषण हेतु अनुमोदित किया गया है।
पारेषण दर सूची में, जैसा कि ऊपर दिया गया है, जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं दर सूची, जो है, जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ को प्रस्तुत सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रू–अप स्थिति के अनुसार निर्धारित अनुमोदित किया गया है में अन्तर का लेखांकन यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ के निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

(स) चालू परिसम्पत्तियों, चालू ऋण एवं अग्रिम, व्यापारिक प्राप्यों, अन्य चालू परिसम्पत्तियों, असंरक्षित ऋणों, चालू एवं गैर चालू दायित्वों, (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं डिस्काम्स के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भण्डार सूची एवं कल पुर्जे, भंडार पारगमन में/निरीक्षण में/ठेकेदारों निर्माणकर्ताओं के पास पड़े हुए भंडार पुष्टिकरण, सत्यापन, समाधान एवं अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई हो, कि शर्ताधीन होंगे। किसी पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की वसूली या अन्यथा के विषय में कोई अभिमत नहीं दे सकते।

(द) कम्पनी ने ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं (पूंजीगत एवं ओ॰ एण्ड एम॰ कार्यों) एवं अन्य प्राप्यों के सम्बन्ध में किसी प्रावधान को करने की प्रक्रिया बन्द कर दी है क्योंकि चालू होने के वर्ष से वर्ष 2011–12 तक किसी अशोध्य ऋणों के प्रकरण सूचित नहीं है जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष के लाभ को रु॰ 27.25 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है/था (टिप्पणी 26 ब के प्रस्तर 2(अ) एवं 2(व) का संदर्भ लें)

(य) ''अन्तर इकाई अन्तरण'' में रु॰ 97.53 करोड़ का अवशेष ('अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ आर्थिक चिट्ठे की टिप्पणी संख्या 16) अन्तर इकाई अवशेष के असमाधानित अवशेष को दर्शाता है। अन्तर इकाई अवशेष, जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है, समाधान की प्रक्रिया में है (टिप्पणी 26(ब) के प्रस्तर 4(अ) का सन्दर्भ लें)

(र) यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं डिस्काम का अंतर कारपोरेट अवशेष रू0 53.12 करोड़ (पूर्व वर्ष में रू॰ 91.57 करोड़) जो आर्थिक चिट्ठे में ''अन्य चालू दायित्वों'' टिप्पणी सं॰–7 के अन्तर्गत दिखाया गया है, समाधान की प्रक्रिया में है। (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 4(ब) का सन्दर्भ लें)

(ल) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेखा बहियों के रख–रखाव एवं इनके मौलिक बहियों से मिलान का कार्य प्रभावकारी है।

(व) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है माइक्रो, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विरूद्ध, जैसा कि एस॰एस॰एम॰ई॰डी॰ अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, के विरूद्ध कोई उत्तरदायित्व नहीं है तथा इन उपक्रमों द्वारा कोई ब्याज का दावा भी नहीं किया गया है। (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 7 का सन्दर्भ लें)

(क्ष) टिप्पणी संख्या 19 के प्रस्तर 26ब में सन्दर्भित आकस्मिक दायित्व कम्पनी द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार है जिन पर इसी तरह हमने विश्वास कर लिया।

(त्र) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद परिक्षेत्र के शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित ''नकद एवं बैंक अवशेष (टिप्पणी सं॰ 14 आर्थिक चिट्ठे में नकद एवं नकद समतुल्य 80000.00 की सावधि जमा ई॰टी॰एल॰ई॰यू॰ इकाई के सम्बन्ध

में पूर्व जोन के शाखा सम्प्रेक्षकों के समक्ष एफ॰डी॰आर॰ प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा कम्पनी द्वारा प्रोद्भूत ब्याज हेतु कोई प्रावधान भी नहीं किया गया।

(ज्ञ) भूमि/भूमि के मालिकाना हक, भूमि अधिकार एवं भवनों के विलेखों के प्रमाण पत्र समग्र रूप से परिक्षेत्रों की सम्बन्धित इकाई द्वारा रखे जाते हैं इसलिए हमने जोनल सम्प्रेक्षकों द्वारा किये गये सत्यापन पर विश्वास कर लिया है जहाँ इलाहाबाद परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि इस सम्बन्ध में यथोचित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

7. <u>लेखीय मानकों का अपालन</u>

(अ) अन्तर राज्यीय पारेषण के मामलो में राजस्व की मान्यता, ऊर्जा के पारेषण /खुली पहुंच नकद आधार है जो लेखीय मानक (ए॰एस॰) 9 ''राजस्व मान्यता के अनुरूप नहीं है (टिप्पणी–26ए की लेखीय नीति 5(अ) को सन्दर्भित करें।)

(ब) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है न कि बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार (टिप्पणी सं॰ 26ए की लेखीय नीति 7(ब) एवं टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 12(ब) को संदर्भित करें।) कर्मचारियों के पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09.11.2000 के आधार पर किया गया है। अग्रेतर मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09.11.2000 केवल 3 वर्ष के लिए वैध थी लेकिन वही रिपोर्ट 2013 के प्रावधान किये जाने के लिए भी चलन में है, (टिप्पणी 26 अ की लेखीय नीति 7(अ) एवं टिप्पणी 26(ब) के प्रस्तर 12(अ) का सन्दर्भ लें।)

इन कर्मचारी लाभों का लेखांकन लेखीय मानक (ए एस)15 में निर्धारित कर्मचारी लाभ (2005 संशोधित) के अनुसार नहीं किया गया है।

(स) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए मे दी गयी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 ए की आवश्यकतानुसार तथा कम्पनी (सचिव स्थिति की नियुक्ति एवं अहर्ताओं) रूल्स 1988, सभी सम्पत्तियों जिनकी पूंजी 2 करोड़ से कम नहीं है, एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव रखेगी। किन्तु यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने कम्पनी अधिनियम की इस धारा का अनुपालन नहीं किया है तथा कम्पनी के अन्तिम खाते एक अंशकालिक कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं। यह टिप्पणी सी॰ए॰जी॰ द्वारा वर्ष 2010–11 से की जा रही है किन्तु कम्पनी सचिव द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

(द) कम्पनी द्वारा उपलब्धता एवं निकट भविष्य में निरन्तर सारगर्भित आय के सम्बन्ध में किये गये प्रकटन के सन्दर्भ में लेखीय मानक–22 के अनुसार आस्थगित टैक्स के लेखांकन ''आय पर टैक्सों का लेखांकन'' प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया है।

(य) कम्पनी ने लेखीय मानक (एस–28) परिसम्पत्तियों का क्षरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है कि अनुलग्नक–III विद्युत नियम 1985 के लेखीय सिद्धांतों एवं प्रावधानों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर अभिलिखित किया जायेगा तथा परिसम्पत्तियों का उनकी प्रतिस्थापन या चालू लागत से कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 17 का सन्दर्भ लें)

8 पूर्ण सूचना के अभाव में प्रस्तर 6 एवं 7 एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव कम्पनी के खातों पर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

9. कम्पनी के वित्तीय विवरण परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के सम्प्रेक्षित तलपटों को समाविष्ट करके बनाये गये हैं। हमने शाखा सम्प्रेक्षकों के सम्बन्धित परिक्षेत्रों के कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अनुपालन की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर असमाधानित टिप्पणी दी है।

10. शाखा सम्प्रेक्षकों ने अपना अभिमत व्यक्त किया है और परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के 31 मार्च, 2013 के तलपटों पर अपनी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
11. हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के आशय से जिन शाखाओं मे हम निरीक्षण नहीं कर पाये, उनसे यथोचित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, शाखा सम्प्रेक्षकों की आख्या हमें प्रेषित कर दी गयी है तथा इन्हें समुचित रूप से हमारी आख्या बनाते समय विचारित किया गया है।
12. कम्पनी मामलों के विभाग के परिपत्र संख्या 8/2002 के परिप्रेक्ष्य में, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(1जी) के अनुसार निर्देशको की अयोग्यता के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

**अभिमत**

हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखीय सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं यथार्थ स्थिति दर्शाते हैं

(i) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2013 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति।
(ii) उसी अवधि को समाप्त लाभ/हानि खाते के मामले में लाभ/हानि की स्थिति।
(iii) रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त रोकड़ प्रवाह विवरणों की स्थिति।

**अन्य विधिक मामलों एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

13 भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227 उप प्रस्तर (4ए) के अन्तर्गत, जैसा कि कम्पनीज (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (आदेश) में वांछित है, हम अनुलग्नक में इस आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में अपेक्षित मामलों पर एक विवरण दे रहे है।

14 अधिनियम की धारा 227(3) की आवश्यकतानुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि :

(अ) हमने अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास से ऐसी सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो सम्प्रेक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
(ब) हमारे अभिमत में उचित लेखा पुस्तको का रख–रखाव जैसा कि विधि द्वारा आवश्यक है, और जैसा कि हमारी जांच से प्रतीत होता है, किया गया है।
(स) इस रिपोर्ट में संदर्भित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।
(द) सिवाय उन प्रभावों के/सम्भाव्य प्रभावों के, सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के लेखीय मामले के सीमित प्रभावों के प्रस्तर–7 में दी गयी सीमित अभिमत, हमारे अभिमत में, आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाते का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखीय मानकों का अनुपालन करते हैं।
(य) हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार शासकीय निगम के नामित निदेशकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (i) के प्रस्तर (जी) के अन्तर्गत उनके निदेशक पद की नियुक्ति के सम्बन्ध में अयोग्यता के लिए लिखित प्रतिवेदन लेखा, का प्रावधान लागू नहीं होता।

**राजीव नन्दन एण्ड क॰ के वास्ते**
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम॰नं॰ 073070
एफ॰आर॰एन॰नं॰ 003347 सी
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

राजीव नन्दन एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय
301 ए, द्वितीय तल,
गोविन्दा अपार्टमेन्ट
1–अ, शाहनजफ रोड, लखनऊ

## उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष की सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के साथ नत्थी संलग्नक

(31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष की इसी दिनांक की रिपोर्ट के प्रस्तर 13 में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को सम्बोधित सम्प्रेक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक)

ऐसी जांच परख जिन्हें हमने लागू करना समुचित समझा और मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के समय प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों (ऋण एवं निधि) एवं चार पारेषण परिक्षेत्रों, जिनका सम्प्रेक्षण शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया के आधार पर हम निम्नवत प्रस्तुत करते हैं।

1 (अ) कम्पनी ने मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों के समुचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

(ब) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। इसलिए हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण विसंगति पायी गयी थी या नहीं।

(स) कम्पनी ने वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी सारभूत भाग को बेचा नहीं है।

(द) पारेषण (पूर्व) मेरठ के शाखा सम्प्रेक्षकों ने सूचित किया है कि पूंजीगत कार्य प्रगति का अन्तरण इकाइयों से अन्तिम समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना है स्थायी परिसम्पत्तियों में कर दिया है।

(ii) (अ) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष में प्रबन्धन ने भण्डार एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन कर लिया है। हमारे अभिमत में, भण्डारों की प्रकृति एवं अवस्थिति के अनुसार भौतिक सत्यापन की आवृत्ति युक्तियुक्त है।

(ब) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद को छोड़कर प्रबन्धन द्वारा भण्डार सूची के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में यथोचित एवं पर्याप्त है। पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अग्रेतर भौतिक सत्यापन मे पायी गयी महत्वपूर्ण विसंगतियों को जहाँ कहीं पायी गयी, लेखीय पुस्तकों में उचित रूप से लेखांकित की गयी है।

(स) हमारे अभिमत में पारेषण पश्चिम (मेरठ) को छोड़कर कम्पनी भण्डार सूची (स्टोर्स एवं कलपुर्जे) के अभिलेखों का रख–रखाव यथोचित रूप से कर रही है। पारेषण पश्चिम (मेरठ) में स्टाक रजिस्टरों का रख–रखाव तो किया जा रहा है लेकिन यह अपूर्ण है एवं पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) परिक्षेत्र ने स्टाक का मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया कि जैसा कि शाखा सम्प्रेक्षकों ने सूचित किया है कुछ भण्डार मदों (स्टोर्स एवं कल पुर्जो) का अवशेष क्रेडिट में था।

(iii) (अ) जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है, कम्पनी ने किन्हीं कम्पनियों, फर्मो या अन्य पक्षों को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 से आवरित होते हो, को कोई ऋण, संरक्षित या असंरक्षित, स्वीकार नहीं किये है।

(ब) उपरोक्त (iii)अ के परिपेक्ष्य में आदेश 2003 के प्रस्तर (iii)(ब), (स) एवं (द) लागू नहीं हैं।

(स) कम्पनी ने किन्हीं कम्पनियों, फर्मो या अन्य पक्षों से कोई ऋण, संरक्षित या असंरक्षित, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 से आवरित होते हो, से नहीं लिये हैं।

(द) उपरोक्त (iii)स के परिप्रेक्ष्य में आदेश 2003 के प्रस्तर (iii) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं हैं।

(iv) हमारे अभिमत में और हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की दृष्टि से आन्तरिक नियंत्रण कार्याविधियों, भण्डार सूची की खरीद (भण्डार एवं कलपुर्जे) स्थायी परिसम्पत्तियां एवं सेवाओं की बिक्री, सिवाय पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) को छोड़कर एवं पावर वित्त निगम को देय तिथियों पर ऋण की किश्तो के भुगतान करने में कुछ यदाकदा स्थितियों में विलम्ब हो जाता है।

अग्रेतर हमने आन्तरिक नियंत्रण में होने वाली मुख्य कमियों को सुधारने हेतु निरन्तर असफलताएं नहीं पायी।

(v) (अ) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों एवं अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार, ऐसे कोई अनुबन्ध या व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनके विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किया जाना आवश्यक हों।

(ब) उक्त (v)(अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (v)(ब) लागू नहीं होता।

(vi) कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे अभिमत में, कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण एवं जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vii) कम्पनी के पास अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की फर्मो के साथ एक आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रणाली है। फिर भी वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए किसी भी परिक्षेत्र में तथा मुख्यालय में कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षा नहीं किया गया।

(viii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) में निर्धारित लागत अभिलेखों, सिवाय पारेषण पश्चिम (मेरठ) एवं पोरषण दक्षिण (आगरा) के, कम्पनी में रख–रखाव किया है।

(ix) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी सामान्य तथा अविवादित वैधानिक देयों, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर , सेवाकर, उत्पाद शुल्क, उपकर एवं अन्य वैधानिक देयों को उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने हेतु नियमित हैं किन्तु रु॰ 12708 जो कि फ्रिंज बेनीफिट टैक्स से सम्बन्धित है आर्थिक चिट्ठा के दिनांक से 6 माह पूर्व से अविवादित है।

(x) कम्पनी का रजिस्ट्रेशन हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इसकी संचयी हानियां इसकी शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और और चालू वित्तीय वर्ष में या इससे पूर्व के वर्ष में इसने कोई नकद हानियां नहीं की हैं।

(xi) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी यू॰पी॰ सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान की धनराशि रु॰ 499.93 करोड़ में चूक की है जिनका विवरण आर्थिक चिट्ठे की टिप्पणी सं॰ 4 के अनुलग्नक में दी गयी है।

(xii) कम्पनी ने अंशपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रखने के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकार नहीं किये हैं।

(xiii) कम्पनी चिट फण्ड कम्पनी या निधि/परस्पर सहयोग फण्ड/सोसाइटी नहीं है इसलिए आदेश का प्रस्तर (xiii) लागू नहीं है।

(xiv) कम्पनी अंशपत्रों का लेन–देन या व्यापार नहीं करती हैं और न ही प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अन्य निवेश का कार्य करती, इसलिए आदेश का प्रस्तर (xiv) लागू नहीं होता है।

(xv) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गये ऋणों के लिए कोई जमानत नहीं दी है।

(xvi) हम इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है कि ऋण निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गयी थी जिसके लिए ऋण लिया गया था क्योंकि लेखे इस प्रकार नहीं रखे जाते जो यह चिन्हित कर सके कि इनका अन्ततः प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। फिर भी प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋण निधियां इसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गयी जिनके लिए ऋण निधियां प्रवृत्त की गयी थी।

(xvii) हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अल्पावधि के लिए ऋणों का प्रयोग दीर्घावधि उद्देश्य के लिए किया या नहीं कि लेखे इस प्रकार नहीं रखे जाते कि इनका तत्कालिक सम्बन्ध अन्ततः प्रयोग से चिन्हित किया जा सके। फिर भी प्रबन्धन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रवृत्त की गयी थी जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे।

(xviii) कम्पनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के आवरित पक्षों को आवंटन अंश पत्रों का अवंटन वरीयता से किया है।

(xix) कम्पनी ने कोई जांच पत्र निर्गत नहीं किये हैं, इसलिए आदेश का प्रस्तर (xix) लागू नहीं है।

(xx) कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है इसलिए आदेश का प्रस्तर (xx) लागू नहीं है।

(xxi) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष में कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गयी है और न ही कम्पनी के विरूद्ध कोई धोखा–धड़ी सूचित है।

**राजीव नन्दन एण्ड क॰ के वास्ते**
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
**पवन कुमार अग्रवाल**
साझीदार
एम॰नं॰ 073070
एफ॰आर॰एन॰नं॰ 003347 सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 17–04–2014

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संवैधानिक सम्प्रेक्षको की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर।

| | सम्प्रेक्षको की रिपोर्ट का अनुलग्नक | प्रबन्धन के उत्तर |
|---|---|---|
| | ऐसी जांच परख जिन्हें हमने लागू करना समुचित समझा और मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के समय प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों (ऋण एवं निधि) एवं चार पारेषण परिक्षेत्रों, जिनका सम्प्रेक्षण शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया के आधार पर हम निम्नवत प्रस्तुत करते हैं | |
| (i) | (अ) कम्पनी ने मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों के समुचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है। | स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर, एवं इसको पूर्ण तथा मात्रात्मक विवरण, स्थायी परिसम्पत्तियों की अवस्थिति दर्शाते हुए रख–रखाव हेतु सम्बन्धित परिक्षेत्रों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| | (ब) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। इसलिए हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण विसंगति पायी गयी थी या नहीं। | भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रों को निर्देशित कर दिया गया है। |
| | (स) कम्पनी ने वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी सारभूत भाग को बेचा नहीं है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| | (द) पारेषण (पूर्व) मेरठ के शाखा सम्प्रेक्षकों ने सूचित किया है कि पूंजीगत कार्य प्रगति का अन्तरण इकाइयों से अन्तिम समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना है स्थायी परिसम्पत्तियों में कर दिया है। | इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश सम्बन्धित परिक्षेत्रों को दिये गये हैं। |
| (ii) | (अ) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष में प्रबन्धन ने भण्डार एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन कर लिया है। हमारे अभिमत में, भण्डारों की प्रकृति एवं अवस्थिति के अनुसार भौतिक सत्यापन की आवृत्ति युक्तियुक्त है। | कोई टिप्पणी नहीं |
| | (ब) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद को छोड़कर प्रबन्धन द्वारा भण्डार सूची के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में यथोचित एवं पर्याप्त है। पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अग्रेतर भौतिक सत्यापन मे पायी गयी महत्वपूर्ण विसंगतियों को जहाँ कहीं पायी गयी, लेखीय पुस्तकों में उचित रूप से लेखांकित की गयी है। | इस सम्बन्ध में सम्बन्धित परिक्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | (स) हमारे अभिमत में पारेषण पश्चिम (मेरठ) को छोड़कर कम्पनी भण्डार सूची (स्टोर्स एवं कलपुर्जे) के अभिलेखों का रख–रखाव यथोचित रूप से कर रही है। पारेषण पश्चिम (मेरठ) में स्टाक रजिस्टरों का रख–रखाव तो किया जा रहा है लेकिन यह अपूर्ण है एवं पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) परिक्षेत्र ने स्टाक का मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया कि जैसा कि शाखा सम्प्रेक्षकों ने सूचित किया है कुछ भण्डार मदों (स्टोर्स एवं कल पुर्जो) का अवशेष क्रेडिट में था। | इस सम्बन्ध में सम्बन्धित परिक्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। |
| (iii) | (अ) जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है, कम्पनी ने किन्हीं कम्पनियों, फर्मो या अन्य पक्षों को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 से आवरित होते हो, को कोई ऋण, संरक्षित या असंरक्षित, स्वीकार नहीं किये है। | कोई टिप्पणी नहीं |
| | (ब) उपरोक्त (iii)अ के परिपेक्ष्य में आदेश 2003 के प्रस्तर (iii)(ब), (स) एवं (द) लागू नहीं हैं। | कोई टिप्पणी नहीं |
| | (स) कम्पनी ने किन्हीं कम्पनियों, फर्मो या अन्य पक्षों से कोई ऋण, संरक्षित या असंरक्षित, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 से आवरित होते हो, से नहीं लिये हैं। | कोई टिप्पणी नहीं |
| | (द) उपरोक्त (iii)स के परिप्रेक्ष्य में आदेश 2003 के प्रस्तर (iii) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं हैं। | कोई टिप्पणी नहीं |
| (iv) | हमारे अभिमत में और हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की दृष्टि से आन्तरिक नियंत्रण कार्याविधियों, भण्डार सूची की खरीद (भण्डार एवं कलपुर्जे) स्थायी परिसम्पत्तियां एवं सेवाओं की बिक्री, सिवाय पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) को छोड़कर एवं पावर वित्त निगम को देय तिथियों पर ऋण की किश्तो के भुगतान करने में कुछ यदाकदा स्थितियों में विलम्ब हो जाता है।<br>अग्रेतर हमने आन्तरिक नियंत्रण में होने वाली मुख्य कमियों को सुधारने हेतु निरन्तर असफलताएं नहीं पायी। | सम्बन्धित परिक्षेत्रो को आवश्यक निर्देश निर्गत कर गये गये हैं। |
| (v) | (अ) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों एवं अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार, ऐसे कोई अनुबन्ध या व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनके विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किया जाना आवश्यक हों। | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| | (ब) उक्त (v)(अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (v)(ब) लागू नहीं होता। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (vi) | कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसर, हमारे अभिमत में, कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण एवं जमा स्वीकार नहीं किया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (vii) | कम्पनी के पास अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की फर्मो के साथ एक आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रणाली है। फिर भी वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए किसी भी परिक्षेत्र में तथा मुख्यालय में कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षा नहीं किया गया। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (viii) | कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) में निर्धारित लागत अभिलेखों, सिवाय पारेषण पश्चिम (मेरठ) एवं पोरषण दक्षिण (आगरा) के, कम्पनी में रख–रखाव किया है। | अभिलेखों का रख–रखाव किया गया है एवं लागत सम्प्रेक्षक ने सम्प्रेक्षण किया है। |
| (ix) | हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी सामान्य तथा अविवादित वैधानिक देयों, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क, उपकर एवं अन्य वैधानिक देयों को उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने हेतु नियमित हैं किन्तु रु॰ 12708 जो कि प्रिंज बेनीफिट टैक्स से सम्बन्धित है आर्थिक चिट्ठा के दिनांक से 6 माह पूर्व से अविवादित है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (x) | कम्पनी का रजिस्ट्रेशन हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इसकी संचयी हानियां इसकी शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और और चालू वित्तीय वर्ष में या इससे पूर्व के वर्ष में इसने कोई नकद हानियां नहीं की हैं। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xi) | हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी यू0पी0 सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान की धनराशि रु0 499.93 करोड़ में चूक की है जिनका विवरण आर्थिक चिट्ठे की टिप्पणी सं0 4 के अनुलग्नक में दी गयी है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xii) | कम्पनी ने अंशपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रखने के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकार नहीं किये हैं। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xiii) | कम्पनी चिट फण्ड कम्पनी या निधि/परस्पर सहयोग फण्ड/सोसाइटी नहीं है इसलिए आदेश का प्रस्तर (xiii) लागू नहीं है। | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| (xiv) | कम्पनी अंशपत्रों का लेन–देन या व्यापार नहीं करती हैं और न ही प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अन्य निवेश का कार्य करती, इसलिए आदेश का प्रस्तर (xiv) लागू नहीं होता है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xv) | हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गये ऋणों के लिए कोई जमानत नहीं दी है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xvi) | हम इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है कि ऋण निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गयी थी जिसके लिए ऋण लिया गया था क्योंकि लेखे इस प्रकार नहीं रखे जाते जो यह चिन्हित कर सके कि इनका अन्ततः प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। फिर भी प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋण निधियां इसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गयी जिनके लिए ऋण निधियां प्रवृत्त की गयी थी। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xvii) | हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अल्पावधि के लिए ऋणों का प्रयोग दीर्घावधि उद्देश्य के लिए किया या नहीं कि लेखे इस प्रकार नहीं रखे जाते कि इनका तत्कालिक सम्बन्ध अन्ततः प्रयोग से चिन्हित किया जा सके। फिर भी प्रबन्धन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रवृत्त की गयी थी जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे। | वर्ष 2012–13 में प्राप्त अल्पावधि धनराशियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गयी थी, जिसके लिए यह प्राप्त हुई थे। |
| (xviii) | कम्पनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के आवरित पक्षों को आवंटित अंश पत्रों का आवंटन वरीयता से किया है। | अल्पावधि के आधार पर ली गयी धनराशि दीर्घावधि के अभिप्राय से प्रयोग नही की। |
| (xix) | कम्पनी ने कोई जांच पत्र निर्गत नहीं किये हैं, इसलिए आदेश का प्रस्तर (xix) लागू नहीं है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xx) | कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है इसलिए आदेश का प्रस्तर (xx) लागू नहीं है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (xxi) | हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष में कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गयी है और न ही कम्पनी के विरूद्ध कोई धोखा–धड़ी सूचित है। | कोई टिप्पणी नहीं। |

**डा॰ यू॰के॰ यादव**
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

**ए॰के॰ गुप्ता**
महाप्रबन्धक (लेखा)

**एस॰के॰ अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

## दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ के लेखों पर संवैघानिक सम्प्रेक्षको की रिपोर्ट पर प्रबन्धन के उत्तर

| सम्प्रेक्षक रिपोर्ट | प्रबन्धन के उत्तर |
|---|---|
| सदस्यगण,<br>उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड<br>(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)<br>लखनऊ | |
| **वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**<br>1. हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ लखनऊ के 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरणों एवं उस तिथि को समाप्त संलग्न लाभ हानि खाते का सम्प्रेक्षण किया है, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में हस्ताक्षरित किया है जिसमें ऋण एवं निधियों के हमारे द्वारा सम्प्रेक्षित इकाइयों के लेखे एवं चार पारेषण परिक्षेत्रों, जो जिनका सम्प्रेक्षण क्रमशः सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, को समाविष्ट किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व**<br>2 प्रबन्धन इन वित्तीय विवरणों को बनाने हेतु उत्तरदायी है जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय सम्पादन एवं नकद प्रवाह हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के उपनियम 3(स) नियम–211 में दिये गये लेखीय मानकों के अनुरूप कम्पनी की यथार्थ एवं स्वच्छ स्थिति दर्शाता है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुत करने, प्रभावकारी रूप से पूर्ण करने एवं आन्तरिक नियंत्रण को प्रतिपादित करने के अवयव सम्मिलित हैं, ताकि वे यथार्थ एवं स्वच्छ स्थिति दर्शायें जो कि धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण मिथ्या वर्णनों से रहित हो। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| **सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व**<br>3 हमारा उत्तरदायित्व हमारे सम्प्रेक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सम्प्रेक्षा मानकों के | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| | अनुसार किया हैं। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आचार नियामावली का पालन करें तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना इस प्रकार बनायें कि हम आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। | |
| 4 | सम्प्रेक्षकण उस क्रिया का होना संकेत करता है जो वित्तीय विवरणों में धनराशियों एवं प्रकटनों को सम्प्रेक्षक प्रमाण लेते हैं। अपनायी गयी कार्यविधियाँ सम्प्रेक्षक के अनुमान पर आधारित होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा–धड़ी या छल कपट के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों के आंकलन में सन्देह रहता है। ऐसे सन्देहपूर्ण निर्धारण करने में सम्प्रेक्षक यह सोचते है कि कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तथ्यपरक रूप से तैयार करें, ताकि सम्प्रेक्षा की कार्यविधि उन स्थितियों में संगत हों। सम्प्रेक्षा में अपनायी गयी लेखीय नीतियों की तर्कसंगता का मूल्यांकन तथा प्रबन्धन द्वारा लेखीय अनुमानों की युक्तियुक्त एवं समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की दर्शनीयता भी सम्मिलित होती है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 5. | हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत सम्प्रेक्षा प्रमाण, पर्याप्त एवं उचित है जो हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार प्रस्तुत करता है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 6. | हम अग्रेतर सूचित करते हैं – | |
| | (अ) कोष एवं आधिक्य में पुनर्संरचना खाते में वर्ष के अन्त में रु॰ 180.72 करोड़ का अवशेष है। यह दिनांक 01.04.2007 को खाता बहियों के अनुसार ईकाइवार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों के योग एवं उ॰प्र॰राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित गजट अधिसूचना सं॰ 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23-12-2010 में दी गयी अन्तरण योजना में दिये गये अवशेषों के जोड़ में अन्तर के कारण है। कथित अन्तरण योजना अन्तिमीकरण हेतु लम्बित है जो वित्तीय विवरणों में दिये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को परिवर्तित कर सकती है टिप्पणी 26 ब के प्रस्तर–1(सी) का सन्दर्भ ग्रहण करें। | उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्तरण रिपोर्ट को अन्तिम करने पर आवश्यक समायोजन, यदि कोई हुए, तो लेखों में तदनुसार कर लिए जायेंगे। |
| | (ब) टिप्पणी सं॰ 26अ मे दी गयी लेखीय नीति के अनुसार वर्ष का पारेषण राजस्व को दर सूची 0.1740 के॰वी॰एच॰ के आधार पर मान्यता दी गयी है संख्या 5 (जैसा कि टिप्पणी सं॰ 26ब) के प्रस्तर सं॰ 8 में इंगित है जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा ऊर्जा के अन्तर राज्यीय पारेषण हेतु अनुमोदित किया गया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| | पारेषण दर सूची में, जैसा कि ऊपर दिया गया है, जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं दर सूची, जो है, जिसे यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ को प्रस्तुत सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रू–अप स्थिति के अनुसार निर्धारित अनुमोदित किया गया है में अन्तर का लेखांकन यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ के निर्णय के अनुसार किया जायेगा। | |
| (स) | चालू परिसम्पत्तियों, चालू ऋण एवं अग्रिम, व्यापारिक प्राप्यों, अन्य चालू परिसम्पत्तियों, असंरक्षित ऋणों, चालू एवं गैर चालू दायित्वों, (यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं डिस्काम्स के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भण्डार सूची एवं कल पुर्जे, भंडार पारगमन में/निरीक्षण में/ठेकेदारों निर्माणकर्ताओं के पास पड़े हुए भंडार पुष्टिकरण, सत्यापन, समाधान एवं अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई हो, कि शर्ताधीन होंगे। किसी पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की वसूली या अन्यथा के विषय में कोई अभिमत नहीं दे सकते। | क्योंकि अवशेष सतत् समाधान की प्रक्रिया में हैं, अनुवर्ती समायोजन, जब एवं जैसे आवश्यक हों, किये जाते हैं ताकि अवशेषों की पुष्टि और सत्यापन हो सके। जहाँ तक व्यापारिक प्राप्यों, अन्तर कारपोरेशन अन्तरण तथा डिस्काम्स एवं यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ से प्राप्यों का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार के उपक्रम हैं अतएव इन अवशेषों की वसूली या अन्यथा के मद सम्बन्ध में कोई संशय नहीं है। अन्य पक्षों के अवशेष संविदात्मक अनुग्रहों/बिलों/रोकी गयी धनराशि से सम्बन्धित हैं, इसलिए वे वसूली योग्य या समायोजन योग्य हैं। |
| (द) | कम्पनी ने ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं (पूंजीगत एवं ओ॰ एण्ड एम॰ कार्यों) एवं अन्य प्राप्यों के सम्बन्ध में किसी प्रावधान को करने की प्रक्रिया बन्द कर दी है क्योंकि चालू होने के वर्ष से वर्ष 2011–12 तक किसी अशोध्य ऋणों के प्रकरण सूचित नहीं है जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष के लाभ को रू॰ 27.25 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है/था (टिपपणी 26 ब के प्रस्तर 2(अ) एवं 2(व) का संदर्भ लें) | इसका यथोचित प्रकटन टिप्पणी सं॰ 26ब के प्रस्तर 2(अ) एवं 2(ब) में किया जा चुका है। |
| (य) | ''अन्तर इकाई अन्तरण'' में रु॰ 97.53 करोड़ का अवशेष ('अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ आर्थिक चिट्ठे की टिप्पणी संख्या 16) अन्तर इकाई अवशेष के असमाधानित अवशेष को दर्शाता है। अन्तर इकाई अवशेष, जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है, समाधान की प्रक्रिया में है (टिप्पणी 26(ब) के प्रस्तर 4(अ) का सन्दर्भ लें) | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (र) | यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं डिस्काम का अंतर कारपोरेट अवशेष रु॰ 53.12 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु॰ 91.57 करोड़) जो आर्थिक चिट्ठे में ''अन्य चालू दायित्वों'' टिप्पणी सं॰–7 के अन्तर्गत दिखाया गया है, समाधान की प्रक्रिया में है। (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 4(ब) का सन्दर्भ लें) | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | |
|---|---|
| (ल) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेखा बहियों के रख–रखाव एवं इनके मौलिक बहियों से मिलान का कार्य प्रभावकारी है। | सभी इकाइयों के अनुसरण करने के लिए निर्देश/प्रावधान हैं कि वे सहायक अभिलेख यथा ठेकेदारों का लेजर, आपूर्तिकर्ताओं के लेजर का रख–रखाव मौलिक अभिलेखों यथा कैश बुक, माप बुक एवं स्टाक लेखों के अनुसार करे। फिर भी उन इकाइयों में जहाँ ऐसी विसंगतियां पायी जाती है, आवश्यक परिशोधन/सुधार हेतु निर्देश निर्गत किये जाते है तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। |
| (व) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है माइक्रो, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विरूद्ध, जैसा कि एस॰एस॰एम॰ई॰डी॰ अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, के विरूद्ध कोई उत्तरदायित्व नहीं है तथा इन उपक्रमों द्वारा कोई ब्याज का दावा भी नहीं किया गया है। (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 7 का सन्दर्भ लें) | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (क्ष) टिप्पणी संख्या 19 के प्रस्तर 26ब में सन्दर्भित आकस्मिक दायित्व कम्पनी द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार है जिन पर इसी तरह हमने विश्वास कर लिया। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| (त्र) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद परिक्षेत्र के शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित ''नकद एवं बैंक अवशेष (टिप्पणी स0 14 आर्थिक चिट्ठे में नकद एवं नकद समतुल्य 80000.00 की सावधि जमा ई॰टी॰एल॰ई॰यू॰ इकाई के सम्बन्ध में पूर्व जोन के शाखा सम्प्रेक्षकों के समक्ष एफ॰डी॰आर॰ प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा कम्पनी द्वारा प्रोद्भूत ब्याज हेतु कोई प्रावधान भी नहीं किया गया। | रू॰ 80000.00 के सावधि जमा का प्रकरण जांच में है, जांच के पश्चात आवश्यक प्रावधान/समायोजन, जैसा उचित होगा, सुनिश्चित किया जायेगा। |
| (ज्ञ) भूमि/भूमि के मालिकाना हक, भूमि अधिकार एवं भवनों के विलेखों के प्रमाण पत्र समग्र रूप से परिक्षेत्रों की सम्बन्धित इकाई द्वारा रखे जाते हैं इसलिए हमने जोनल सम्प्रेक्षकों द्वारा किये गये सत्यापन पर विश्वास कर लिया है जहाँ इलाहाबाद परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि इस सम्बन्ध में यथोचित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। | मालिकी/स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजी प्रमाण भूमि एवं भवन अधिकारों का रख–रखाव इकाई स्तर पर रखा जाता है जहाँ इन परिसम्पत्तियों का प्रयोग एवं अनुरक्षण किया जाता है। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्धन के संज्ञान में किसी विरोधाभास का पता नहीं चला। |
| **7. <u>लेखीय मानकों का अपालन</u>**<br>(अ) अन्तर राज्यीय पारेषण के मामलो में राजस्व की मान्यता, ऊर्जा के पारेषण /खुली पहुंच नकद आधार है जो लेखीय मानक (ए॰एस॰) 9 ''राजस्व मान्यता के अनुरूप नहीं है (टिप्पणी–26ए की लेखीय नीति 5(अ) को सन्दर्भित करें।) | **लेखीय मानकों का अनुपालन न होना**<br>कोई टिप्पणी नहीं। |

| | |
|---|---|
| (ब) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है न कि बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार (टिप्पणी सं॰ 26ए की लेखीय नीति 7(ब) एवं टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 12(ब) को संदर्भित करें।) कर्मचारियों के पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09.11.2000 के आधार पर किया गया है। अग्रेतर मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09.11.2000 केवल 3 वर्ष के लिए वैध थी लेकिन वही रिपोर्ट 2013 के प्रावधान किये जाने के लिए भी चलन में है, (टिप्पणी 26 अ की लेखीय नीति 7(अ) एवं टिप्पणी 26(ब) के प्रस्तर 12(अ) का सन्दर्भ लें।)<br>इन कर्मचारी लाभों का लेखांकन लेखीय मानक (ए एस)15 में निर्धारित कर्मचारी लाभ (2005 संशोधित) के अनुसार नहीं किया गया है। | अवकाश नकदीकरण का लेखांकन हमारी नीति के अनुसार होता है सेवा निवृत्त लाभों सम्बन्धी लेखय नीति 7(ब) स्पष्टतया निर्धारित करती है कि अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ एवं एल॰टी॰सी॰ का लेखांकन वर्ष में प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान भी यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा किये गये बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर, जैसा कि बिन्दु सं॰ 15(अ) में प्रकट किया गया है, लेखीय मानक–15 में किये गये प्रावधान का असली उद्देश्य निगम की नीति को अंगीकृत करने से पूर्ण हो जाता है। |
| (स) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए मे दी गयी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 ए की आवश्यकतानुसार तथा कम्पनी (सचिव स्थिति की नियुक्ति एवं अहर्ताओं) रूल्स 1988, सभी सम्पत्तियों जिनकी पूंजी 2 करोड़ से कम नहीं है, एक पूर्णकालिक कम्पनी सचिव रखेगी। किन्तु यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने कम्पनी अधिनियम की इस धारा का अनुपालन नहीं किया है तथा कम्पनी के अन्तिम खाते एक अंशकालिक कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं। यह टिप्पणी सी॰ए॰जी॰ द्वारा वर्ष 2010–11 से की जा रही है किन्तु कम्पनी सचिव द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। | पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। |
| (द) कम्पनी द्वारा उपलब्धता एवं निकट भविष्य में निरन्तर सारगर्भित आय के सम्बन्ध में किये गये प्रकटन के सन्दर्भ में लेखीय मानक–22 के अनुसार आस्थगित टैक्स के लेखांकन ''आय पर टैक्सों का लेखांकन'' प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया है। | आस्थगित कर सम्पत्तियों का लेखों में लेखांकन विवेकानुसार नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी को ना आमेलित हुयी रु॰ 1123.86 करोड़ की संचयी हानियों की भरपाई निकट भविष्य में होना निश्चित नहीं लगता। |
| (य) कम्पनी ने लेखीय मानक (एस–28) परिसम्पत्तियों का क्षरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है कि अनुलग्नक–III विद्युत नियम 1985 के लेखीय सिद्धांतों एवं प्रावधानों के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों को | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| | ऐतिहासिक लागत पर अभिलिखित किया जायेगा तथा परिसम्पत्तियों का उनकी प्रतिस्थापन या चालू लागत से कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा (टिप्पणी 26ब के प्रस्तर 17 का सन्दर्भ लें) | |
| 8 | पूर्ण सूचना के अभाव में प्रस्तर 6 एवं 7 एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव कम्पनी के खातों पर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 9. | कम्पनी के वित्तीय विवरण परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के सम्प्रेक्षित तलपटों को समाविष्ट करके बनाये गये हैं। हमने शाखा सम्प्रेक्षकों के सम्बन्धित परिक्षेत्रों के कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अनुपालन की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर असमाधानित टिप्पणी दी है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 10. | शाखा सम्प्रेक्षकों ने अपना अभिमत व्यक्त किया है और परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के 31 मार्च, 2013 के तलपटों पर अपनी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 11. | हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के आशय से जिन शाखाओं मे हम निरीक्षण नहीं कर पाये, उनसे यथोचित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, शाखा सम्प्रेक्षकों की आख्या हमें प्रेषित कर दी गयी है तथा इन्हें समुचित रूप से हमारी आख्या बनाते समय विचारित किया गया है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 12. | कम्पनी मामलों के विभाग के परिपत्र संख्या 8/2002 के परिप्रेक्ष्य में, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(1जी) के अनुसार निर्देशको की अयोग्यता के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| | **अभिमत** | |
| | (अ) हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखीय सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं यथार्थ स्थिति दर्शाते हैं | कोई टिप्पणी नहीं। |
| | (ब) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2013 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| | (स) उसी अवधि को समाप्त लाभ/हानि खाते के मामले में लाभ/हानि की स्थिति। | कोई टिप्पणी नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| | (द) रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त रोकड़ प्रवाह विवरणों की स्थिति। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| 13 | **अन्य विधिक मामलों एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**<br>भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227 उप प्रस्तर (4ए) के अन्तर्गत, जैसा कि कम्पनीज (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (आदेश) में वांछित है, हम अनुलग्नक में इस आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में अपेक्षित मामलों पर एक विवरण दे रहे है। | कोई टिप्पणी नहीं। |

**डा॰ यू॰के॰ यादव**
**उप महाप्रबन्धक (लेखा)**

**ए॰के॰ गुप्ता**
**महाप्रबन्धक (लेखा)**

**एस॰के॰ अग्रवाल**
**निदेशक (वित्त)**

सत्यमेव जयते

# कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा) उ०प्र०
# छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज, लखनऊ–226 024

स्पीड पोस्ट/गोपनीय

पत्रांक म.ले. (इ. एण्ड आर.एस.ए.)/ई.एस.–11/लेखा/यू.पी.पा.ट्रां.का.लि./2012-13/169 दिनांकः 26-08-14

सेवा में,

**प्रबन्ध निदेशक,**
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

एतत्सह कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

**आडिट करवाने वाले द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर यह रिपोर्ट बनायी गयी है। महालेखाकार का कार्यालय (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर) उत्तर प्रदेश आडिटरों द्वारा किसी गलत सूचना या/और सूचना देने वाले का उत्तरदायित्व स्वीकार करने का दावा स्वीकार नहीं करता।**

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीया,

सहपत्र– यथोपरि

**विनीता मिश्रा**
महालेखाकार

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकर की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय कार्य ढांचे की सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति वैधानिक सम्प्रेक्षक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं आश्वासन मानकों की अनुरूपता में स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 17 अप्रैल 2014 के माध्यम से ऐसा किया जाना इंगित है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ब) के अन्तर्गत 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया है। यह पूरक सम्प्रेक्षण स्वतंत्र रूप से वैघानिक सम्प्रेक्षको द्वारा तैयार किये गये कागज पत्रों को बिना विचार किये मुख्यतः वैघानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्रमुखतः से दर्शाना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आये तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन की और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

### आर्थिक चिट्ठा

### चालू दायित्व

### अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) रू॰ 3324.26 करोड़

1. उपरोक्त में रु॰ 14.69 करोड़ सम्मिलित नहीं है (रु॰ 7.07 करोड़ 2012–13 के लिए, रु॰ 4.56 करोड़ 2011–12 के लिए एवं 3.06 करोड़ 2010–11 के लिए) जो सी॰पी॰एफ॰/जी॰पी॰एफ॰ ट्रस्ट का देय ब्याज दायित्व से सम्बन्धित है।

   इसके फलस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी–19) को रु॰ 7.07 करोड़ से कम, पूर्वावधि व्यय (टिप्पणी–25) को 7.62 करोड़ एवं अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) का रु॰ 14.69 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

   सी॰ एण्ड ए॰जी॰ द्वारा कम्पनी की वर्ष 2011–12 के लेखो पर टिप्पणी के बावजूद, कम्पनी ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

2. सामान्य

   (i) लेखों पर टिप्पणी (टिप्पणी सं॰ 26ब) के बिन्दु सं॰ 2(अ) को सन्दर्भित किया जाता है जहां यह प्रकटन किया गया है कि संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान करने की पद्धति को बन्द कर दिया गया था, यह तथ्य की रु॰ 81.67 करोड़ का प्रावधान लेखों में पहले ही कर लिया गया था को लेने पर टिप्पणियो में प्रकट नहीं किया गया है।

(ii) **अन्तर कम्पनी अवशेषों का समाधान न किया जाना**

चालू दायित्वों का चालू परिसम्पत्तियों में समाधान न होने के कारण रू॰ 7.99 करोड़ के अन्तर कम्पनी अवशेष कम्पनी द्वारा लेखीकृत नहीं किया जा सका। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में भी नही किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा कम्पनी के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखों पर टिप्पणी के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

स्थान–लखनऊ
दिनांक

भारत के नियंत्र एवं महालेखाकार के वास्ते
विनीता मिश्रा
महालेखाकार

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकर की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

| सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ | प्रबन्धन के उत्तर |
|---|---|
| कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय कार्य ढांचे की सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति वैधानिक सम्प्रेक्षक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं आश्वासन मानकों की अनुरूपता में स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 17 अप्रैल 2014 के माध्यम से ऐसा किया जाना इंगित है।<br><br>मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ब) के अन्तर्गत 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया है। यह पूरक सम्प्रेक्षण स्वतंत्र रूप से वैघानिक सम्प्रेक्षको द्वारा तैयार किये गये कागज पत्रों को बिना विचार किये मुख्यतः वैघानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्रमुखतः से दर्शाना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आये तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन की और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। | कोई टिप्पणी नहीं। |
| **आर्थिक चिट्ठा–**<br>**चालू दायित्व**<br>**अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) रु0 3324.26 करोड़**<br><br>1. उपरोक्त में रु॰ 14.69 करोड़ सम्मिलित नहीं है (रु॰ 7.07 करोड़ | वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक अर्थात पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के |

| | |
|---|---|
| 2012–13 के लिए, रु॰ 4.56 करोड़ 2011–12 के लिए एवं 3.06 करोड़ 2010–11 के लिए) जो सी॰पी॰एफ॰/जी॰पी॰एफ॰ ट्रस्ट का देय ब्याज दायित्व से सम्बन्धित है।<br>इसके फलस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी–19) को रु॰ 7.07 करोड़ से कम, पूर्वावधि व्यय (टिप्पणी–25) को 7.62 करोड़ एवं अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) का रु॰ 14.69 करोड़ से कम दर्शाया गया है।<br>सी॰ एण्ड ए॰जी॰ द्वारा कम्पनी की वर्ष 2011–12 के लेखो पर टिप्पणी के बावजूद, कम्पनी ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की। | गठन के पश्चात जी॰पी॰एफ॰ अंशदान का भुगतान यू॰पी॰ पावर सेक्टर कर्मचारी न्यास को न किये जाने से उस पर देय ब्याज रू॰ 18.67 करोड़ तथा सी॰पी॰एफ॰ रू॰ 1.74 करोड़ का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कर लिया गया है। |
| 2. **सामान्य**<br>(i) लेखों पर टिप्पणी (टिप्पणी सं॰ 26ब) के बिन्दु सं॰ 2(अ) को सन्दर्भित किया जाता है जहां यह प्रकटन किया गया है कि संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान करने की पद्धति को बन्द कर दिया गया था, यह तथ्य की रू॰ 81.67 करोड़ का प्रावधान लेखों में पहले ही कर लिया गया था को लेने पर टिप्पणियो में प्रकट नहीं किया गया है। | (i) 81.67 करोड़ का ''संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों'' के लिए किया गया प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013–14 में बट्टे खातों में डाल दिाय गया है। |
| (ii) **अन्तर कम्पनी अवशेषों का समाधान न किया जाना**<br>चालू दायित्वों का चालू परिसम्पत्तियों में समाधान न होने के कारण रु॰ 7.99 करोड़ के अन्तर कम्पनी अवशेष कम्पनी द्वारा लेखीकृत नहीं किया जा सका। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में भी नही किया गया।<br>भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा कम्पनी के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखों पर टिप्पणी के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। | (ii) चालू दायित्वों की तुलना में चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर कम्पनी अवशेषों का समाधान प्रत्येक वर्ष किया जाता है और जहाँ कहीं अन्तर पाये जाते हैं उनको आवश्यक प्रविष्टियाँ करके समाधानित कर लिया जाता है। यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की पुस्तको में व्यापारिक प्राप्य तथा डिस्काम एवं केस्को की पुस्तकों में व्यापारिक देय समान मालूम पड़ते हैं। क्योंकि यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एवं डिस्काम की पुस्तकों में अन्तर निगम अन्तरण एक जैसे नहीं है। इस लिए इन दोनों की तुलना अन्तर की सही स्थिति नहीं दर्शाती। फिर भी अन्तर लेन–देनों से अन्तर कारपोरेशन से सम्बन्धित अन्तरण अवशेषों को समाधानित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । |

**डा. यू.के. यादव**
**उप मुख्य लेखाधिकारी**

**ए.के. गुप्ता**
**महाप्रबन्धक (लेखा)**

**एस.के. अग्रवाल**
**निदेशक (वित्त)**